नगर पंचायत कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 28.10.2020 से 31.03.2023 तक
भाग–एक

1. प्रारम्भिक

(क) सचिव, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः UD-A(1)-5/2015 दिनाँक 28.10.2020 द्वारा नगर पंचायत कण्डाघाट, जिला सोलन हि0प्र0 को अधिसूचित किया गया। नगर पंचायत कण्डाघाट के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उप–मण्डलाधिकारी नागरिक कण्डाघाट, जिला सोलन द्वारा दिनाँक 27.04.2021 को शपथ दिलाई गई एवं नगर पंचायत द्वारा दिसम्बर 2020 से लेखों का रखरखाव शुरू किया गया था।

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन (एल0ए0) खण्ड–IV, दिनाँक 16.10.2008 द्वारा नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत कण्डाघाट, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि 28.10.2020 से 31.03.2023 के दौरान नगर पंचायत कण्डाघाट, जिला सोलन में निम्न अध्यक्ष एवं सचिव नियन्त्रक अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहेः–

(i) अध्यक्ष

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	पद रिक्त	28.10.2020 से 26.04.2021
2	श्रीमती गीता देवी	27.04.2021 से 31.03.2023

(ii) सचिव एवं आहरण व संवितरण अधिकारी

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	डॉ. संजीव धीमान (उप–मण्डलाधिकारी ना. कण्डाघाट)	28.10.2020 से 01.03.2021
2	डॉ. विकास सूद (उप–मण्डलाधिकारी ना. कण्डाघाट)	01.03.2021 से 26.03.2021
3	श्री रजनीश चौहान, सचिव	27.03.2021 से 31.03.2023

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

नगर पंचायत कण्डाघाट, जिला सोलन के लेखाओं अवधि 10.2020 से 03.2023 तक के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं.	राशि लाखों मे (₹)
1	अनुदान का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	8.1	99.57
2	अनुदानों से व्यय के के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	8.2	247.41
3	आय का वसूली हेतु शेष पाया जाना	11	11.87
4	सोलर व स्ट्रीट लाईट की मुरम्मत पर किये गये व्यय का औचित्य स्पष्ट न करना	15.1	12.22
5	संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों से काटे गए वस्तु एवं सेवाकर, बिक्री कर, आयकर, श्रमकर व रॉयल्टी को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना	16	2.43
6	निष्पादित निर्माण कार्य में मदों का नियमों के प्रतिकूल अतिरिक्त निष्पादन करने व गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान करना	24	2.40

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट/2023–108 व 120 दिनाँक 21–07–2023 तथा 03.08.2023 के सन्दर्भ में प्रस्तुत सूचनानुसार सचिव, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश

सरकार की अधिसूचना संख्याः UD-A(1)-5/2015 दिनाँक 28.10.2020 द्वारा नगर पंचायत कण्डाघाट, जिला सोलन, हि0प्र0 को अधिसूचित किया गया तथा हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा नगर पंचायत कण्डाघाट, जिला सोलन का प्रथम अंकेक्षण निष्पादित किया गया।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत कण्डाघाट के लेखाओं अवधि 28.10.2020 से 31.03.2023 तक का अंकेक्षण श्री सन्तोष कुमार, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा अवधि 21.07.2023 से 31.08.2023 तक नगर पंचायत कार्यालय कण्डाघाट में निष्पादित किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 02/2022 व 07/2022 तथा व्यय के लिए माह 03/2022 व 12/2022 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत कण्डाघाट द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना एवं अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा सूचना/अभिलेख के उपलब्ध ही न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा अंकेक्षण का दायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित है"।

3. अंकेक्षण शुल्क

नगर पंचायत कण्डाघाट के लेखाओं अवधि 28.10.2020 से 31.03.2023 तक के अंकेक्षण का शुल्क ₹31000/–आंका गया जिसे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–136 दिनाँक 31.08.2023 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, ब्लॉक नं0 38, एस0डी0ए0 कॉम्पलैक्स, कुसुम्पटी शिमला–171009 हि0प्र0 को यथाशीघ्र भेजने हेतु सचिव, नगर पंचायत कण्डाघाट, जिला सोलन से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय विवरणियाँ

नगर पालिका अधिनियम–1994 के अनुच्छेद 252 तथा नगर पालिका Accounts Manual के पैरा 27.4 के अनुसार नगर पंचायत् द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियाँ तैयार की जानी अपेक्षित थीः–

क्रम	वित्तीय विवरणी	प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई
1	तुलन पत्र (Balance Sheet)	प्रस्तुत नहीं की गई
2	आय व्यय विवरणी	प्रस्तुत की गई

	(Income Expenditure Statement)	
3	नकदी प्रवाह विवरणी (Cash Flow Statement)	प्रस्तुत नहीं की गई
4	प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt & Payment Statement)	प्रस्तुत की गई
5	तलपट (Trial Balance)	प्रस्तुत नहीं किया गया
6	लेखाओं पर टिप्पणियाँ (Notes to Accounts)	प्रस्तुत नहीं की गई
7	वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial Performance Indicator))	प्रस्तुत नहीं की गई

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट/2023–108 व 120 दिनाँक 21–07–2023 तथा 03.08.2023 द्वारा वर्णित वित्तीय विवरणियों को आवश्यक पड़ताल हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-666 दिनाँक 26.08.2028 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि स्टॉफ की कमी व नगर पंचायत के नवगठित होने के कारण वर्णित वित्तीय विवरणियों को तैयार नहीं किया जा सका तथा आश्वस्त किया गया कि भविष्य में नियमानुसार लेखों/वित्तीय विवरणियों का संधारण सुनिश्चित कर दिया जायेगा व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। नगर पंचायत द्वारा वर्णित वित्तीय विवरणियों को तैयार न करने के कारण लेखों का सत्यापन नहीं किया जा सका अंकेक्षण के दौरान केवल रोकड़ बही का सत्यापन अंकेक्षण दल द्वारा किया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि यथाशीघ्र नियमानुसार लेखों का संधारण सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5 वित्तीय स्थिति

5.1 सामान्य रोकड बही

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट/2023–108 व 120 दिनाँक 21–07–2023 तथा 03.08.2023 के सन्दर्भ में यथा **परिशिष्ट ''1''** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 28.10.2020 से 31.03.2023 तक की वित्तीय का विवरण निम्न प्रकार से थाः–

Financial Position of Nagar Panchayat Kandaghat, Distt. Solan (H.P.) for the period 10/2020 to 03-2023							
YEAR	**Name of Head**	**Opening Balance**	**Receipt during the Year**	**Interest Received**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2020-21	**Own Sources**	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	Grant In Aid	0.00	4302383.00	9576.00	4311959.00	0.00	4311959.00
	Total	**0.00**	**4302385.00**	**9576.00**	4311961.00	**0.00**	**4311961.00**
2021-22	**Own Sources**	2.00	752745.00	140480.01	893227.01	497155.02	396071.99
	Grant In Aid	4311959.00	15002931.00	145390.00	19460280.00	11910465.41	7549814.59
	Total	**4311961.00**	**15755676.00**	**285870.01**	20353507.01	**12407620.43**	**7945886.58**
2022-23	**Own Sources**	396071.99	1871784.33	131043.63	2398899.95	2036340.67	362559.28
	Grant In Aid	7549814.59	18082732.00	155640.37	25788186.96	15830949.98	9957236.98
	Total	**7945886.58**	**19954516.33**	**286684.00**	28187086.91	**17867290.65**	**10319796.26**

5.2 दिनाँक 31.03.2023 को नगर पंचायत बचत बैंक खाते व सावधि जमा में निवेश निधि का विवरणः—

नगर पंचायत द्वारा यथा **परिशिष्ट ''2''** पर प्रस्तुत सूचनानुसार दिनाँक 31.03.2023 को नगर पंचायत कण्डाघाट के बचत बैंक खातों में जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से था:—

Detail of Bank Balance in all the Bank Accounts of NP Kandaghat, as on 31-03-2023					
Sr. No.	**Account No**	**Name of Bank**	**Head**	**Amount**	**Remarks**
1	50100451375845	HDFC Bank, Silhari Kandaghat, Solan	15th CFC	2831143.70	**2845389.70**
2	9754000100007526	Punjab National Bank, Kandaghat, Solan	15th CFC	14246.00	
3	9754000100008057	Punjab National Bank, Kandaghat, Solan	SFC	2486684.34	
4	9754000100008303	Punjab National Bank, Kandaghat, Solan	Parking	1173153.00	**3173153.00**
5	.022394600000793	Yes bank, timber house, cart road Shimla-1	Parking	2000000.00	
6	9754000100008172	Punjab National Bank, Kandaghat, Solan	Park	1024.28	

7	50100445105754	HDFC Bank, Silhari Kandaghat, Solan	DC Office Grant	225997.66	
8	9754000100011190	Punjab National Bank, Kandaghat, Solan	MMSAGY	50100.00	
9	50100466087117	HDFC Bank, Silhari Kandaghat, Solan	SBM	1174888.00	
10	50100451368329	HDFC Bank, Silhari Kandaghat, Solan	OBPS/ Map fee	17637.28	**Own Source Account**
11	.009194600001081	Yes bank, timber house, cart road Shimla-1	Shop rent & parking	338123.00	
12	9754000100008604	Punjab National Bank, Kandaghat, Solan	Misc A/C	4393.00	
बचत खातों के शेष के अनुसार दिनाँक 31.03.2023 को कुल जमा राशि				**10317390.26**	

5.3 बैंक समाधान विवरणी :– नगर पंचायत कण्डाघाट की दिनाँक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी का विवरण यथा **परिशिष्ट ''3''** अनुसार निम्न प्रकार से था:–

Bank Reconciliation Statemnet of Nagar Panchayat Kandaghat, Distt. Solan (H.P.) as on 31-03-2023					
रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनाँक 31.03.2023 को अन्तशेष					**10319796.26**
(+) जमा:–	Cheaque of Payment not cleared till 31-03-2023	**Ch. No**	**Date**	**Amount**	
1	……….do…………	..000089	27-03-2023	1507.00	
2	……….do…………	..000082	02-03-2023	46.00	
3	……….do…………	..000047	20-12-2022	41.00	
उपरोक्त चैकों का कुल योग क्र. सं. 1 से 3				**1594.00**	**1594.00**
उपरोक्त जमा के पश्चात रोकड़ बही का संशोधित अन्तशेष					**10321390.26**
(–) घटाव:–	Cheaque of receipt not cleared till 31-03-2023	560717	23-02-2023	4000.00	
4	कुल घटाव क्र. सं. 4			**4000.00**	**4000.00**
उपरोक्त घटाव के पश्चात रोकड़ बही का संशोधित अन्तशेष					**10317390.26**
दिनाँक 31.03.2023 को नगर पंचायत के बचत बैंक खातों में जमा राशि					**10317390.26**
अन्तर					**शून्य**

बैंक समाधान विवरणी के अंकेक्षण पर निम्न टिप्पणियाँ अपेक्षित हैंः–

(i) एक अनुदान के लिये दो–दो खातों का संचालन करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा पन्द्रवाँ वित–आयोग व कार पार्किंग के लिये दो–दो खातों का संचालन किया गया था जोकि नियमानुसार तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Sr. No.	Account No	Name of Bank	Head	Amount	Remarks
1	50100451375845	HDFC Bank, Silhari Kandaghat, Solan	15th CFC	2831143.70	
2	9754000100007526	Punjab National Bank, Kandaghat, Solan	15th CFC	14246.00	No transactin were found during audit
4	9754000100008303	Punjab National Bank, Kandaghat, Solan	Parking	1173153.00	
5	022394600000793	Yes bank, timber house, cart road Shimla-1	Parking	2000000.00	No transactin were found during audit

उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट/2023–108 व 120 दिनाँक 21–07–2023 व 03.08.2023 के प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि अतिरिक्त/निष्क्रिय खातों की संस्थास्तर पर उचित पड़ताल उपरान्त सदन के समक्ष नियमानुसार कार्रवाई एवं अनावश्यक खातों को बन्द करने हेतु रखा जायेगा व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः एक अनुदान के लिये दो खातों को संचालित करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अतिरिक्त/निष्क्रिय खातों को बन्द करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि अनियमित बैंक प्रभार को कम किया जा सके एवं संस्थास्तर पर खातों का संचालन भी सहजता से किया जा सके।

5.4 पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधिः–

पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि के लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न करना

H.P. Municipality Employees (Pension, Gratuity & GPF) Rules, 2000 के नियम 3(3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका द्वारा हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का 12% पेंशन तथा 5% ग्रेच्युटी का अभिदान पेंशन एवं उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में पैंशन एवं ग्रेच्यूटी निधि में कोई भी अंशदान नहीं किया गया था इसके अतिरिक्त नियम 9 के अनुसार नगरपालिका के कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पैंशन/कम्यूटिड वैल्यू ऑफ पैंशन ईत्यादि लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक द्वारा पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ–साथ इनका रख–रखाव भी किया जाएगा परन्तु उक्त वर्णित नियमों के विपरित निधियों के लेखों का रख–रखाव न तो निदेशालय स्तर पर और न ही नगर पंचायत स्तर पर किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट/2023–108 व 120 दिनाँक 21–07–2023 तथा 03.08.2023 के सन्दर्भ में यथा **परिशिष्ट–4** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्त अंशदान बैंक ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय/ भुगतान (₹)	अन्तशेष (₹)
2020–21	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2021–22	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
2022–23	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

वर्णित अनियमितता बारे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट/2023–108, 120 व 132 दिनाँक 21–07–2023, 03.08.2023 व 25.08.2023 के प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि नियम 3(3) व 9 के अन्तर्गत निदेशालय, शहरी विकास द्वारा लेखों का संधारण किया जाना अपेक्षित है परन्तु निदेशालय स्तर से कोई भी निर्देश प्राप्त न होने के कारण नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में तो पैंशन एवं ग्रेच्यूटी निधि में अंशदान किया गया है और न ही लेखों का रख–रखाव किया गया है जिसे अब अंकेक्षण के सुझावानुसार/नियमानुसार तैयार करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः नियमों के प्रतिकूल पैन्शन तथा ग्रेच्युटी निधि में अंशदान न करने व लेखों का रख–रखाव न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा यथाशीघ्र नियमानुसार पैन्शन तथा ग्रेच्युटी निधि में अंशदान व तदानुसार लेखों का रख–रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5.5 सी.पी.एफ. निधि :–

सी.पी.एफ. निधि के लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा सीपीएफ निधि की रोकड़ बही व खाताबही का संधारण नहीं किया गया था और न ही बैंक खाते को संचालित किया गया था। अंकेक्षण अवधि 10/2020 से 03/2023 के दौरान केवल कनिष्ठ अभियन्ता श्री घनश्याम शर्मा ही नियमित थे तथा उनके अंशदान को नियोक्ता अंशदान सहित पूर्व में नगर पंचायत राजगढ़ में संचालित पंजाब नैशनल बैंक खाते में ही जमा करवाया गया था, जिसका विवरण यथा **परिशिष्ट "4"** के अनुसार निम्न प्रकार से था :–

<table>
<tr><th colspan="6">Nagar Panchayat Kandaghat, Distt. Solan, H.P.</th></tr>
<tr><th colspan="6">Financial Position of NPS/CPF fund during the period 10-2020 to 31-03-2023</th></tr>
<tr><th>Year</th><th>Employee Contribution (₹)</th><th>Employer Contribution (₹)</th><th>Deposit (₹)</th><th>Deposited in Account No.</th><th>Remarks</th></tr>
<tr><td>2020-2021</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td rowspan="3">No cash book & bank account was operated for NPS/CPF fund at Nagar Panchayat Kandaghat level.</td></tr>
<tr><td>2021-2022</td><td>58189.00</td><td>68539.00</td><td>126728.00</td><td>56310118081</td></tr>
<tr><td>2022-2023</td><td>73032.00</td><td>102252.00</td><td>175284.00</td><td>56310118081</td></tr>
<tr><td colspan="6">Note:- During the audit period, above NPS/CPF Employer and employee contribution was deducted and deposited in the bank account of Sh. Ghanshyam Sharma (J.E.) at PNB Rajgarh (Pledge with Secy. NP Rajgarh, because only one employee i.e. Sh. Ghanshyam Sharma was reguler at Nagar Panchayat Kandaghat, Distt. Solan during the period 10-2020 to 31-03-2023.</td></tr>
</table>

नगर पंचायत द्वारा आवश्यक लेखों का रख–रखाव नहीं किये जाने के कारण सीपीएफ निधि की पड़ताल अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। वर्णित अनियमितताओं बारे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट/2023–108, 120 व 132 दिनाँक 21–07–2023, 03.08.2023 व 25.08.2023 के प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि भविष्य में नियमानुसार लेखों का रख–रखाव सुनिश्चित कर दिया जायेगा तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः नियमानुसार सीपीएफ निधि लेखों का रख–रखाव सुनिश्चित करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6 दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख–रखाव न करना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत बहियों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग हि0प्र0 द्वारा दिनाँक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों का रख–रखाव करने के निर्देश दिए गए थे परन्तु संस्था स्तर लेखों का रख–रखाव दोहरी लेखा पद्धति के अनुसार नहीं किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। लेखों का नियमानुसार रख–रखाव न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान खातों के प्रारम्भिक शेष, प्राप्त आय, व्यय व अन्त शेष की सत्यापना नहीं की जा सकी तथा ऐसे में लेखों में अनियमितता की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–127 दिनाँक 19.08.2023 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि नवगठित नगर पंचायत में स्टॉफ की कमी के कारण दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर लेखों का रख–रखाव नहीं किया जा सका जिसका भविष्य में नियमानुसार संधारण कर दिया जायेगा व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः संस्थास्तर पर यथाशीघ्र नियमानुसार लेखों का रखरखाव सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7 सावधि जमा निवेश

7.1 सावधि जमा में निवेश न करना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण अवधि के अन्त तक कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जोकि संस्था के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को दर्शाता है तथा हि0प्र0 सरकार, वित विभाग के पत्र संख्याः फिन–आईएफ(ए)1–68/83–III दिनाँक 06–01–2021 तथा फिन–आईएफ (ए)1–68/83–III दिनाँक 03.03.2021 के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–127 दिनाँक 19.08.2023 द्वारा उचित कारण सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि नवनिर्मित नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण सावधि जमा में निवेश नहीं किया जा सका तथा भविष्य में नियमानुसार वित्तीय आवश्यकता के दृष्टिगत सावधि जमा में निवेश कर दिया जायेगा व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को करवा दिया जायेगा। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में वित्तीय

आवश्यकता के दृष्टिगत नियमानुसार सावधि जमा में राशि को निवेश किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 सावधि जमा में निवेश न करने के कारण ब्याज के रूप में अपेक्षित अतिरिक्त आय ₹2.55 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "1" पर** प्रस्तुत सूचनानुसार संस्था के बचत बैक खातों में दिनाँक 31.03.2021 को ₹4311961.00, दिनाँक 31.03.2022 को ₹7945886.58 तथा दिनाँक 31.03.2023 को ₹10319796.26 बचत बैंक खातों में उपयोग हेतु शेष थी, यदि संस्था द्वारा वित्तीय आवश्यकता के दृष्टिगत दिनाँक 31.03.2022 के अन्त शेष 7945886 में से 60% ₹4767532 को भी 5.25% ब्याज (दर) से सावधि जमा में निवेशित किया जाता तो नगर पंचायत को दिनाँक 31.03.2023 को परिपक्वता राशि ₹5022798 व ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय ₹255266 प्राप्त हो सकती थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–127 दिनाँक 19.08.2023 द्वारा उचित कारण सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि नवनिर्मित नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति सुदृढ न होने के कारण सावधि जमा में निवेश नहीं किया जा सका तथा भविष्य में नियमानुसार वित्तीय आवश्यकता के दृष्टिगत सावधि जमा में निवेश कर दिया जायेगा व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में अनावश्यक राशि को बचत खाते में जमा रखने की अपेक्षा नगर पंचायत की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अल्प व दीर्घकालिक सावधि जमा में निवेशित करने की सम्भावना को तलाशा जाए, ताकि नगर पंचायत की विकास गतिविधियों को प्रभावित किए बिना ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

8 अनुदान

8.1 अनुदान ₹99.57 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "5"** पर प्रस्तुत सूचनानुसार नगर पंचायत के बचत बैंक खातों में दिनाँक 31.03.2023 को अनुदान ₹9957237/– उपयोग हेतु शेष थी जिससे यह परिलक्षित होता है कि नगर पंचायत द्वारा अनुदान राशि का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–127 दिनाँक 19.08.2023 के प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि व्यय हेतु शेष अनुदान में से अधिकतर अनुदान अंकेक्षण अवधि की समाप्ति पर प्राप्त हुई जिस कारण अनुदान राशि को व्यय नहीं

किया जा सका तथा भविष्य में अनुदान को निर्धारित उदेश्य हेतु व्यय कर दिया जायेगा व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि यथासमय अनुपयुक्त अनुदान राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक पग उठाएं जाये ताकि लाभार्थी जनता को विकासात्मक गतिविधियों का लाभ प्राप्त हो सके।

8.2 अनुदानों से व्यय ₹247.41 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "5"** पर उपलब्ध करवाई सूचनानुसार नगर पंचायत द्वारा अनुदान से किये गये व्यय ₹24741415.39 के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सहायतानुदान जारीकर्ता संस्थाओं को प्रेषित नहीं किया गया था जोकि हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 157 के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–127 व 132 दिनाँक 19.08.2023 व 25.08.2.23 के प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि सम्बन्धित संस्थाओं को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिये जायेंगें व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालय को प्रेषित न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सुझाव दिया जाता है कि नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.3 अनुदान ₹120.31 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

नगर पंचायत द्वारा यथा **परिशिष्ट "5"** पर उपलब्ध करवाई गई अनुदान विवरणी के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान ऑनलाईन ₹12030524 की अनुदान राशियाँ प्राप्त हुई थी जिनके स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी की ऑनलाईन प्राप्त राशि वास्तव में अनुदान राशि से ही सम्बन्धित थी अथवा नहीं तथा सहायता अनुदान जारीकर्ता संस्था द्वारा किस उद्देश्य हेतु अनुदान राशियों को जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–127 दिनाँक 19.08.2023 के प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि नगर पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान ऑनलाईन अनुदान राशियाँ प्राप्त हुई हैं जिनके स्वीकृति पत्र सहायतानुदान जारी कर्ता संस्था से प्राप्त नहीं हुये हैं जिन्हें सम्बन्धित संस्था से पत्राचार के माध्यम से प्राप्त करके अंकेक्षण को अवगत करवाया दिया जायेगा। अतः अनुदान

राशियों के स्वीकृति पत्रों को प्राप्त करके अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

8.4 लोक निर्माण विभाग को (PWD) को निक्षेप कार्य हेतु जारी ₹2.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा लोक निर्माण विभाग को सडक निर्माण के लिये निक्षेप कार्य (Deposit Work) की एवज में ₹200000 को हस्तांतरित किया गया था परन्तु निक्षेप कार्य हेतु जारी अग्रिम राशि के सम्बन्ध में अपेक्षित पावति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

GIA/Year	GIA from DC office	Total	Pupose	Remarks
2022-23	200000.00	200000.00	Paid to XEN PWD for Construction of road.	Ulilization certificate not obtained.

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–132 दिनाँक 25.08.2023 के प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया कि सम्बन्धित संस्था से अपेक्षित पावति तथा उपयोगिता प्रमाण अभी प्राप्त नहीं हुये हैं जिसे पत्राचार के माध्यम से प्राप्त करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः सम्बन्धित संस्था से पावति व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व यथाशीघ्र हस्तांतरित राशि के सम्बन्ध में अपेक्षित पावति व उपयोगिता प्रमाण पत्र को प्राप्त करके अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

9 बजट

9.1 वर्ष 2020–21 तथा 2021–2022 के बजट को पारित किये बिना ₹124.08 लाख का व्यय करना

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 249(1 व 2) में प्रावधित है कि नगर पालिका का बजट प्राक्कलन एक फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच की अवधि में सदन के पटल पर रखे जाने के पश्चात् जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा। इसी प्रकार नियम 249(5) में प्रावधित है कि यदि नगर पंचायत सदन उपरोक्त वर्णित तिथियों के बीच बजट प्रस्तावों को अपनी सहमती नहीं देता है तो सचिव द्वारा

सदन की सहमति के बिना ही जिलाधीश के माध्यम से समय पर बजट को अनुमोदन हेतु निदेशक, शहरी विकास को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत कण्डाघाट द्वारा वर्ष 2020–21 तथा 2021–2022 के लिये बजट को न तो सदन से पारित किया गया था और न ही निदेशक शहरी विकास को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार बजट को पारित किये बिना ही ₹**12407620.43** का व्यय किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

YEAR	Name of Head	Approved Budget	Actual Receipt during the Year	Approved Budget	Actual Expenditure
2020-21	**Own Sources**	0.00	2.00	0.00	0.00
	Grant In Aid	0.00	4302383.00	0.00	0.00
2021-22	**Own Sources**	0.00	752745.00	0.00	497155.02
	Grant In Aid	0.00	15002931.00	0.00	11910465.41
	Total	**0.00**	**20058061.00**	0.00	**12407620.43**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–132 दिनाँक 25.08.2023 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि नवनिर्मित नगर पंचायत में पर्याप्त समय न मिलने के कारण वर्ष 2020–21 तथा 2021–2022 के लिये बजट को तैयार नहीं किया जा सका परन्तु भविष्य में नियमानुसार बजट को तैयार किया जायेगा व तदानुसार ही आय व्यय को सुनिश्चित किया जायेगा। अतः वर्णित अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 वर्ष 2022–23 का बजट प्राक्कलन पाँच माह विलम्ब से अनुमोदित करवाना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत कण्डाघाट का वर्ष 2022–23 का बजट निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः UD-H(C)(1)-1/2022-Kandaghat-25418-19 दिनाँक 08.08.2022 द्वारा लगभग पाँच माह पश्चात् अनुमोदित किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 249(1 व 2) तथा 249(5) के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि लगभग पाँच माह उपरान्त बजट अनुमोदित करवाने से बजट को तैयार करने का उद्देश्य/महत्व निरर्थक हो जाता है जिस कारण वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी आय एवं व्यय को बजट के अनुसार केन्द्रित नहीं किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

YEAR	Name of Head	Income		Expenditure	
		Approved Budget	Actual Receipt during the Year	Approved Budget	Actual Expenditure
2022-23	**Own Sources**	10350900.00	1871784.33	4550000.00	2036340.67
	Grant In Aid	12250000.00	18082732.00	17800000.00	15830949.98
	Total	**22600900.00**	**19954516.33**	**22350000.00**	**17867290.65**
	Difference	**Less income**	**2646383.67**	**Less Exp.**	**4482709.35**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–132 दिनाँक 25.08.2023 द्वारा बजट के अनुसार आय–व्यय को सुनिश्चित न करने के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि भविष्य में नियामनुसार यथासमय बजट को तैयार करके आय–व्यय को सुनिश्चित किया जायेगा। अतः वर्णित प्रकरण संस्थाध्यक्ष एवं विभागध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ नियमानुसार बजट के आधार पर आय–व्यय को सुनिश्चित करने हेतु लाया जाता है ताकि बजट के अनुसार आय–व्यय को नियंत्रित किया जा सके।

10 गत तीन वर्षो से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण

सचिव शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः UD-A(1)-5/2015 दिनाँक 28.10.2020 द्वारा नगर पंचायत कण्डाघाट, जिला सोलन हि0प्र0 को अधिसूचित किया गया। अतः हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संस्था का प्रथम अंकेक्षण निष्पादित किया गया है।

11 आय ₹11.87 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

आय से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के अन्त में लगभग **₹1187034** की आय वसूली हेतु शेष थी। नगर पंचायत द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 258 के अन्तर्गत कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि चिन्ता का विषय है तथा निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के कार्यालय आदेश संख्याः यूडी–एच(सी)(1)–1/86–विविध–2553 –2607 दिनाँक 12.02.2018 द्वारा करों/शुल्कों की शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने बारे जारी दिशा निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त में वसूली हेतु बकाया राशि का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से था।

Sr. No.	Particular of Income	Outstanding amount of Income as on 31-03-2023	Para No.
1	Shop Rent	1028484.00	
2	GST on Shot Rent	106549.58	
3	Car Parking	13600.00	
4	Door to Door Garbage Collection Fee	38400.00	
Total of outstanding income as on 31-03-2023		**1187033.58**	

11.1 गृहकर के निर्धारण बारे

सचिव, शहरी विकास हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्याः UD-A(1)-5/2015 दिनाँक 28.10.2020 द्वारा नगर पंचायत कण्डाघाट, जिला सोलन हि0प्र0 को अधिसूचित किया गया था जिस कारण नगर पंचायत कण्डाघाट का परिक्षेत्र माह 09/2023 तक गृहकर से करमुक्त थी तथा दिनाँक 31.03.2023 तक गृहकर की कोई भी राशि वसूली हेतु लम्बित नहीं थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–127 दिनाँक 19.08.2023 द्वारा गृह करदाताओं की सूची व दरों के निर्धारण बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि पंचायत क्षेत्र माह 09/2023 तक गृहकर से करमुक्त है परन्तु निकट भविष्य में गृह कर के निर्धारण हेतु संस्थास्तर पर गृह करदाताओं का सर्वेक्षण कर दिया गया है व गृहकर दरों का यथाशीघ्र निर्धारण करके नियमानुसार कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि निकट भविष्य में गृहकर के निर्धारण के दृष्टिगत संस्थास्तर पर गृह करदाताओं का सर्वेक्षण एवं गृहकर दरों का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये ताकि तदानुसार नियमानुसार गृहकर को 10/2023 से लागू किया जा सके।

11.2 (क) दुकानों के किराये ₹10.28 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर पंचायत द्वारा यथा **परिशिष्ट "6"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ग्राम पंचायत सीरीनगर द्वारा पत्र संख्या G.P.C.-41.2021 दिनाँक 21-12-2021 के अन्तर्गत 23 दुकानों व 7 स्टोर को नगर पंचायत कण्डाघाट को हस्तांतरित किया गया था जिनसे दिनाँक 31.3.2023 तक किराये की

₹1028484/– वसूली नहीं की गई थी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Nagar Panchayat Kandaghat, Distt. Solan, H.P.					
Statement showing the detail of outstanding shop rent as on 31-03-2023					
Year	**Opening Balance**	**Demand during the year**	**Total**	**Collection**	**Outstanding Amount**
2020-2021	7,02,010.00	86,125.00	7,88,135.00	-	7,88,135.00
2021-2022	7,88,135.00	3,16,352.00	11,04,487.00	-	11,04,487.00
2022-2023	11,04,487.00	3,99,204.00	15,03,691.00	4,75,207.00	**10,28,484.00**

दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–127 दिनाँक 19.08.2023 द्वारा तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08. 2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत सीरीनगर द्वारा नगर पंचायत को 23 दुकानों व 7 स्टोर को हस्तांतरित किया गया है जिनकी राशि गत कई वर्षों से वसूली हेतु शेष थी जिसमें से नगर पंचायत द्वारा ₹475207 की वसूली कर दी गई है शेष राशि की वसूली निकट भविष्य में करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वूसली हेतु नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) दुकानों के किराये पर वस्तु एवं सेवा कर ₹1.07 लाख की माँग/वसूली न करना

नगर पंचायत द्वारा यथा **परिशिष्ट "6"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार किराये की राशि पर देय वस्तु एवं सेवाकर ₹106549.58/– की वसूली नहीं की गई थी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Nagar Panchayat Kandaghat, Distt. Solan, H.P.						
Statement showing the detail of less demand and collection of GST on shops rent during the period of audit w.e.f. 10-2020 to 31-03-2023						
Year	**Demand of Shop rent**	**Collection of GST**	**GST to be collected**	**Recoverable GST as on 31-03-2023**	**Deposit**	**Remarks**
2020-2021	86,125.00	-	15,502.50	15,502.50	0.00	**Demand of GST on Shop rent were not made.**
2021-2022	3,16,352.00	-	56,943.36	56,943.36	0.00	
2022-2023	3,99,204.00	37,753.00	71,856.72	34,103.72	0.00	
Total	**8,01,681.00**	**37,753.00**	**1,44,302.58**	**1,06,549.58**	**0.00**	

वस्तु एवं सेवा कर की वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–127 दिनाँक 19.08.2023 द्वारा तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08. 2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि नियमानुसार वस्तु एंव सेवाकर को एकत्रित करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिया जायेगा व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि वस्तु एवं सेवा कर की शीघ्र वूसली हेतु नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) दुकानों के किरायेदारों से अनुबन्ध का नवीनीकरण न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत सीरीनगर द्वारा पत्र संख्या G.P.C.-41.2021 दिनाँक 21-12-2021 के अन्तर्गत 30 दुकानों/स्टोर को नगर पंचायत कण्डाघाट को हस्तांतरित किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत स्तर पर किरायेदारों से किये गये अनुबन्ध प्रपत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। यद्यपि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कुछ दुकानों के नये अनुबन्ध प्रपत्र बनाये गये थे परन्तु निम्नविवरणानुसार 17 दुकानों/स्टोर के सम्बन्ध में अनुबन्ध प्रपत्र नहीं बनाये गये थे जिस कारण नगर पंचायत को किराये की दरों के कम होने के कारण वित्तीय हानी हो रही थी वहीं दूसरी ओर किराये की दरों में भी नियमानुसार वृद्धि नहीं की गई थी। अंकेक्षण अवधि के अन्त तक अनुबन्ध हेतु शेष दुकानों का विवरण निम्न प्रकार से था। उपरोक्त के अतिरिक्त जिन दुकानों का किराया बहुत कम है जैसा कि विवरण में दर्शाया गया है उनके किराये के पुनः निर्धारण हेतु मामला नगर पंचायत के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जाए।

Detail of Shop for Rent Agreement Not made/Renewed						
Sr No.	**Year**	**Name of Allottee**	**Shop No**	**Date of Allotment**	**Due Date of renewal of agreement**	**Monthly Rent**
1	2020-2021	M/s Anil Boot House	3	Not Mentioned	Agr. not Available	385
2	2020-2021	Sh. Gurvinder Singh	6	Not Mentioned	Agr. not Available	250
3	2020-2021	Sh. Rajesh Sharma	7	Not Mentioned	Agr. not Available	170
4	2020-2021	Sh. Suresh Chauhan	11	Not Mentioned	Agr. not Available	110
5	2020-2021	Sh. Rakesh Kumar	12	Not Mentioned	Agr. not Available	205
6	2020-2021	Sh. Sardari Lal Sethi	13	Not Mentioned	Agr. not Available	250
7	2020-2021	Sh. Sardari Lal Sethi	14	Not Mentioned	Agr. not Available	85
8	2020-2021	Sh. Neeru Diwedi	15	Not Mentioned	Agr. not Available	425
9	2020-2021	Sh. Uma Dutt Chauhan	20	Not Mentioned	Agr. not Available	165
10	2020-2021	Pradhan Truck Union	21	Not Mentioned	Agr. not Available	165
11	2020-2021	Sh. Yaswant Kaundal	22	Not Mentioned	Agr. not Available	1350
12	2020-2021	Sh. Hardeep Singh	23	Not Mentioned	Agr. not Available	1325
13	2020-2021	Sh. Rohit Sharma	24	Not Mentioned	Agr. not Available	11500
14	2020-2021	Sh. Rohit Sharma	25	Not Mentioned	Agr. not Available	1325
15	2020-2021	Sh. Raj Kumar	27	Not Mentioned	Agr. not Available	185

16	2020-2021	Sh. Subhash	29	Not Mentioned	Agr. not Available	4000
17	2020-2021	Store (Not in good condition, under repair)	30	Not Mentioned	Agr. not Available	0

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–127 दिनाँक 19.08.2023 द्वारा तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत सीरीनगर द्वारा पत्र संख्या G.P.C.-41.2021 दिनाँक 21-12-2021 के अन्तर्गत 30 दुकानों व स्टोर को हस्तांतरित किया गया है जिसमें से 13 दुकानों/स्टोर के अनुबन्ध का नवीनीकरण कर दिया गया है तथा शेष दुकानों का नवीनीकरण यथाशीघ्र करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है अविलम्ब दुकानों के अनुबन्ध के नवीनीकरण हेतु नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) दुकानों के लम्बित किराये ₹9.50 लाख की वसूली हेतु ठोस कार्रवाई न करना

अंकेक्षण के दौरान दुकानों के बकाया किराये की विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि दिनाँक 31.03.2023 तक 23 दुकानों व 7 स्टोर में से केवल 5 दुकानों से ₹950240/– किराये की राशि वसूली हेतु शेष थी जोकि कुल बकाया राशि ₹1028484 का 92.39% है जिसकी वसूली गत कई वर्षों से लम्बित थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Sr. No.	Name of Allottee	Shop No	Rent recoverable from	Out. Amount as on 31-03-2023
1	Sh. Ram Gulam (Now Smt. Kamlesh)	18	Rent not received from 12-2012	102684.00
2	Sh. Manish Kumar (Now Sh. Ankit Sharma)	19	Rent not received from 03-2021	75850.00
3	Sh. Hardeep Singh	23	Rent not received from 04-2018	67380.00
4	Sh. Rohit Sharma	24	Rent not received from 05-2017	622966.00
5	Sh. Subhash	29	Rent not received from 04-2021	81360.00
	Total			**950240.00**

उक्त दुकानों की बकाया राशि की वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–127 दिनाँक 19.08.2023 द्वारा तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि बकाया राशि की शत प्रतिशत वूसली हेतु संस्थास्तर पर प्रयास किये जायेंगे व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित पाँच दुकानों के लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वूसली हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11.3 कार पार्किंग स्थल से पार्किंग शुल्क ₹0.14 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–108 दिनाँक 21.07.2023 के प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना के अंकेक्षण में पाया गया कि दिनाँक 31.3.2023 तक यथा **परिशिष्ट "7"** अनुसार कार पार्किंग शुल्क ₹13600 वसूली हेतु शेष थी यद्यपि अधिकतर राशि की वसूली अंकेक्षण अवधि के दौरान कर दी गई थी। अतः भविष्य में भी कार पार्किंग स्थल से अपेक्षित आय की यथासमय वसूली करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनश्चित किया जाये व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11.4 मोबाईल टावर स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की वसूली बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सीरीनगर द्वारा पत्र संख्याः G.P.C.-30.2021 दिनाँक 12-10-2021 के अन्तर्गत यथा **परिशिष्ट "8"** अनुसार 6 मोबाईल टावर को नगर पंचायत परिक्षेत्र में दर्शाया गया था परन्तु बकाया राशि के सन्दर्भ में कोई भी उल्लेख एवं विवरण नहीं दिया गया था। इस सन्दर्भ में नगर पंचायत द्वारा न तो ग्राम पंचायत से कोई पत्राचार किया गया था और न ही संस्थास्तर पर की गई किसी प्रकार की कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया। ग्राम पंचायत सीरीनगर द्वारा नगर पंचायत को प्रस्तुत सूचना का विवरण निम्न प्रकार से था।

Statement showing the detail of Mobile towers transferred by the Gram Panchayat Sirinagar to the Nagar Panchayat Kandaghat, Distt. Solan, H.P. (letter No. G.P.C.-30.2021 Dated 12-10-2021)

Sr. No.	Name of Company	No's of Tower	Place	Remarks
1	Jio	1	Near Girl Polytech	Detail of outstanding amount were not given by the Gram Panchayat and also period of recoverable amont was not mentioned vide
2	Idea	1		
3	BSNL	1		

4	Airtel	1		letter referred above. Hence, the outstanding amount of mobile tower fee could not be worked out.
5	Jio	1	Near Housing Colony	
6	Airtel	1		
Total		**6**		

ग्राम पंचायत सीरीनगर द्वारा अपूर्ण विवरण दिये जाने के कारण वसूली हेतु बकाया राशि की गणना नहीं कि जा सकी जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–127 दिनाँक 19.08.2023 द्वारा तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत से पत्राचार करके तदानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि ग्राम पंचायत से उक्त मोबाईल टॉवर की पूर्ण सूचना प्राप्त करके संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11.5 (क) यूजर चार्जिज डी–2–डी गार्बेज कलेक्शन ₹0.38 लाख की वसूली न करना

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–108 दिनाँक 21.07.2023 के प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा यथा **परिशिष्ट ''9''** पर प्रस्तुत सूचना अनुसार दिनाँक 31.03.2023 को यूजर चार्जिज डी–2–डी गार्बेज कलेक्शन शुल्क ₹38400 वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Statement showing the detail of outstanding amount of Door to Door garbage collection as on 31-03-2023					
Door to Door garbage collection implemented from 01-07-2021.					
Year	Opening Balance	Demand during the year	Total	Collection	Outstanding Amount
2020-2021	-	-	-	-	-
2021-2022	-	5,30,550.00	5,30,550.00	4,72,150.00	58,400.00
2022-2023	58,400.00	7,07,400.00	7,65,800.00	7,27,400.00	38,400.00

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–132 दिनाँक 25.08.2023 द्वारा तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि नगर पंचायत द्वारा अधिकतम राशि की वसूली कर दी गई है तथा शेष राशि की वसूली भी निकट भविष्य में कर दी जायेगी व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवम् बकाया प्राप्तियों की शीघ्र वूसली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) यूजर चार्जिज डी–2–डी गार्बेज कलेक्शन ₹1050 की कम वसूली करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा कुछ प्रकरणों में डी–2–डी गार्बेज कलेक्शन की वसूली निर्धारित शुल्क की अपेक्षा कम दरों से की गई थी जिस कारण डी–2–डी गार्बेज कलेक्शन ₹1050 की कम वसूली की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Statement showing the detail of less collection of Door to Door Garbage collection fee									
Sr. No.	**Name of Shop**	**Ward No.**	**Period**	**Month**	**Rate Charged**	**Collection**	**Notified rate P/M**	**Less rate Charged**	**Less collecton**
13	M/s Tooth Buddy Clinic	6	7-21 to 3-23	21	100.00	2100.00	150.00	50.00	1050.00
Total									**1050.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याःएसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–132 दिनाँक 25.08.2023 द्वारा वर्णित आय की कम वसूली करने बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि यूजर चार्जिज डी–2–डी गार्बेज कलेक्शन की कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः डी–2–डी गार्बेज कलेक्शन की कम वसूली करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा संस्थास्तर पर इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की उचित जाँच व राशि की गणना उपरान्त सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.6 बिजली उपकर की वसूली बारे

(क) हि0 प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG(B)(1)–9/94, दिनाँक 8.11.1999 एवं हि0प्र0 म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर पंचायत की सीमा के भीतर उपयोग की गई बिजली पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा बिजली उपकर वसूल करके सम्बन्धित नगर पंचायत को अदा किया जाना प्रावधित है। इस प्रावधान के अनुसार अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत को अंकेक्षण अवधि 28.10.2020 से 31.03.2023 तक यथा **परिशिष्ट–"10"** अनुसार कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी। नगर पंचायत द्वारा वर्षवार खपत की गई बिजली, प्राप्त आय व प्राप्ति हेतु शेष आय से सम्बन्धित अभिलेखों का संधारण भी नहीं किया गया था जिस कारण प्राप्ति हेतु बकाया आय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याःएसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–132 दिनाँक 25.08.2023 द्वारा तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत को बिजली उपकर की कोई भी आय प्राप्त नहीं हुई है तथा राशि की प्राप्ति हेतु सम्बन्धित विभाग से पत्राचार करके व तदुनसार लेखों का संधारण करके अद्यतन स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितता के बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित विभाग से यदि कोई देय राशि शेष हो तो उसकी वसूली एवं आवश्यक अभिलेख का संधारण करके अंकेक्षण में आवश्यक पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) शराब शुल्क की वसूली बारे

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाये गये अभिलेख के अवलोकन में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 28.10.2020 से 31.03.2023 के दौरान यथा **परिशिष्ट–"10"** अनुसार नगर पंचायत को अवधि 01.01.2021 से 31.03.2021 के लिये दिनाँक 02.02.2022 को शराब शुल्क के रूप में ₹63696 की आय प्राप्त हुई थी तथा इसके अतिरिक्त कोई भी राशि नगर पंचायत को प्राप्त नहीं हुई थी जबकि नगर पंचायत को वर्षवार पंचायत परिक्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से आबकारी एवं कराधान विभाग से आय अपेक्षित थी। नगर पंचायत द्वारा वर्षवार प्राप्त आय व प्राप्ति हेतु शेष आय से सम्बन्धित अभिलेखों का संधारण भी नहीं किया गया था जिस कारण प्राप्ति हेतु बकाया आय की

सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–132 दिनाँक 25.08.2023 द्वारा तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान शराब शुल्क ₹63696 के अतिरिक्त कोई भी आय नगर पंचायत को प्राप्त नहीं हुई थी तथा इस बारे सम्बन्धित संस्था से राशि की प्राप्ति हेतु पत्राचार करके तदानुसार लेखों का संधारण करके अद्यतन स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितता बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित विभाग से यदि कोई देय राशि राशि शेष हो तो उसकी वसूली एवं आवश्यक अभिलेख का संधारण करके अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 स्थापना (Establishment)

12.1 श्री घनश्याम शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता को संशोधित वेतनमान दिनाँक 31.12.2023 तक लागू न करना

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः यू.डी.–एच(बी)–(7)–11/87– 40897–40959 दिनाँक 14.10.2022 द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (वेतन संशोधन) नियम 2022 को नगर पंचायत के कर्मचारियों को दिनाँक 01.01.2016 से लागू करने बारे निर्देशित किया गया था परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में नियमित मात्र एक कर्मचारी श्री घनश्याम शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता के वेतन को दिनाँक 31.03.2023 तक संशोधित नहीं किया गया था जिस कारण श्री घनश्याम शर्मा द्वारा दिनाँक 01.12.2021 को वार्षिक वेतन अनुवृद्धि उपरान्त आहरित किया गया मूल वेतन 18100+ गेड पे 5400 = 23500 को ही दिनाँक 31.03.2023 तक आहरित किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है जबकि नियमानुसार 01.01.2016 से सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा दिये गये विकल्प (फैक्टर) के अनुसार संशोधित वेतनमान को लागू किया जाना अपेक्षित था। अतः नियमानुसार संशोधित वेतनमान लागू न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सुझाव दिया जाता है कि अविलम्ब नियमानुसार वर्णित कनिष्ठ अभियन्ता के वेतन का नियमानुसार निर्धारण सुनिश्चित किया जाये तथा सेवा पंजिका को अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12.2 श्री घनश्याम शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता के सेवा पंजिका में अवकाश खाते को अद्यतन न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में नियमित मात्र एक कर्मचारी श्री घनश्याम शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता के अवकाश खाते को दिसम्बर 2019 के पश्चात अद्यतन नहीं किया गया था जिस कारण दिनाँक 31.12.2019 को सेवापंजिका के पृ–124 के अनुसार अर्जित अवकाश खाते का शेष 284 तथा अर्धवैतनिक अवकाश का शेष 200 दर्शाया गया था तदोपरान्त न तो सेवा पंजिका को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया गया था और न ही अवकाश खाते को अद्यतन किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अतः नियमानुसार सेवापंजिका का रख–रखाव न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सुझाव दिया जाता है कि अविलम्ब नियमानुसार सेवा पंजिका को अद्यतन करके अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँ

13 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना संस्थास्तर पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन पर ₹6.08 लाख का अनियमित व्यय करना

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–108 दिनाँक 21.07.2022 के सन्दर्भ मे नगर पंचायत द्वारा आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों से सम्बन्धित सूचना/अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा सोलन सीटी लाईवलीहुड (Solan City Livelihood Centre) के माध्यम से आउटसोर्स पर निम्न विवरणानुसार अकुशल कर्मचारियों (Unskilled workers) को तैनात किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जबकि हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 170 तथा हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्याः Fin(C)-B(15)-8/2013, Government of Himachal Pradesh, Finance (Regulation) Department, Dated : Shimla -171002, दिनॉक 01/07/2017 के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किसी भी विभाग द्वारा केवल राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात ही आउटसोर्स के आधार पर सेवाओं को दिया जाना अपेक्षित था। नगर पंचायत द्वारा दिनाँक 31.03.2023 तक यथा **परिशिष्ट–"11"** अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों पर किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार से था।

<table>
<tr><th colspan="6">Statement showing the detail of Emplyee engagemd on daily basis, in r/o Nagar Panchayat Kandaghat, Distt. Solan H.P.</th></tr>
<tr><th>Year</th><th>Period</th><th>No,s of Person Outsourced</th><th>Outsourcing Agency</th><th>Amount paid During the year</th><th>Remarks</th></tr>
<tr><td>2021-2022</td><td>12- 2021 to 03-2022</td><td>3 Person
(Sh. Manish Thakur, Sh. Nav & Miss Taniya Thakur</td><td>(CLC)
Solan City
Livelihood Centre</td><td>73720.00</td><td rowspan="2">Sanction of Competent authority was not obtained.</td></tr>
<tr><td>2022-2023</td><td>04-2022 to 03-2023</td><td>4 Person
(Sh. Manish Thakur, Sh. Sandeep Kumar, Sh. Ramesh & Miss Taniya Thakur</td><td>(CLC)
Solan City
Livelihood Centre</td><td>534112.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total</td><td></td><td>₹607832.00</td><td></td></tr>
</table>

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–132 दिनाँक 25.08.2023 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः नगर पंचायत निधि से किये गये अनियमित व्यय का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा यह प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की पड़ताल व नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

14 संविदाकार के बिल से सफाई कर्मचारियों के अवकाश के दिनों की कटौती न करने के कारण ₹0.22 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई व्यवस्था हेतु (Sanitation work Contract) नगर पंचायत द्वारा अवधि 01.07.2021 से 30.06.2023 के लिये संविदाकार श्री अश्विनी कुमार को संविदा को आबंटित किया गया था। अनुबन्ध की शर्त संख्याः 3 में स्पष्ट किया गया था कि The penalty of Rs. 500 per day will be imposed if any safai Karamchari found absent from his duty परन्तु नगर पंचायत द्वारा संविदाकार के बिल से नियमानुसार सफाई कर्मचारियों के अवकाश के दिनों की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण संविदाकार को यथा **परिशिष्ट–"12"** अनुसार ₹21550 का अधिक भुगतान किया

गया था। अतः नगर पंचायत निधि से किये गये अनियमित व्यय का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15.1 सोलर व स्ट्रीट लाईट की मुरम्मत पर ₹12.22 लाख के व्यय का औचित्य स्पष्ट न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा सोलर व स्ट्रीट लाईट के मुरम्मत पर ₹1222471 का व्यय किया गया था जबकि ग्रम पंचायत से नगर पंचायत को हस्तांतरित की गई सम्पति एवं दायित्व की सूची में स्ट्रीट लाईटों को नगर पंचायत को हस्तांतरित करने का कोई भी उल्लेख/विवरण नहीं था और न ही संस्थास्तर पर स्ट्रीट लाईट के खराब प्वाइंटस से सम्बन्धित अभिलेख तैयार किया गया था जिस कारण सोलर व स्ट्रीट लाईट के मुरम्मत पर किया गया व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं था। अंकेक्षण अवधि में नगर पंचायत द्वारा सोलर व स्ट्रीट लाईट की मुरम्मत पर किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार से था।

Nagar Panchayat Kandaghat, Distt. Solan H.P.

Statement showing the detail of expenditure made on maintenance of Solar/Street light

S. N.	Name of Work	Award Letter No & Date	Vr. No. & Date	Name of Cont.	Amount of bill	Running Bill No.	MB No. & page
1	Maintenance of existing solar light points in NP Kandaghat Distt. Solan (47 No,s)	682-684 & 27.07.22	16 & 21.09.22	M/s Raaz Communication	316321.00	1st and final	1 & 54-58
2	Maintence of existing solar light with 12 watt. LED batery street light and 15b AH lithium Ferro Battery (dismentling of old battery shifting of poles and P/F solar panel etc) (106 No's)	478-480 & 08.06.22	18 & 16.06.22	M/s Electocraft Corp.	509550.00	1st and final	1 & 16-22
3	Repair & M/o existing solar light point at NP Kandaghat. (53 No's)	20-22 & 11.01.22	22 & 27.04.22	M/s GuruNanak Electronics	396600	1st and final	2 & 63-69
Total					**₹1222471**		

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–126 दिनाँक 18.08.2023 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु अनुरोध

किया गया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-679 दिनाँक 29.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित प्रकरण की संस्थास्तर पर उचित पड़ताल उपरान्त व सम्बन्धित ग्रम पंचायतों से लगाई गई स्ट्रीट लाईटो की सूची प्राप्त करके तदानुसार नियमानुसार कार्रवाई अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की अवस्था में राशि की वसूली करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित व्यय का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा संस्थास्तर पर उचित पड़ताल उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15.2 एक ही स्थान पर एक वर्ष के भीतर सोलर व स्ट्रीट लाईट की स्थापना पर ₹1.14 लाख का अनुचित व्यय करना

अंकेक्षण के दौरान चयनित प्रकरणों में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार नगर पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में सोलर व स्ट्रीट लाईट को स्थापित करने पर ₹278100 का व्यय किया गया था परन्तु एक वर्ष के भीतर एक ही स्थान पर एक से अधिक सोलर व स्ट्रीट लाईट को स्थापित करने के कारण ₹113600 का अनुचित व्यय किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement showing the detail of street light/Solar light installed in the Nagar Panchayat area within 1 year at same place.

MB No.	Page No.	Date of work awarded	No of Street/Solar Light installed	Rate	Amount (₹)	Place of Installation	Remarks (Within 1 year the solar/street light was installed)	
2	33	27-12-2021	1 (Solar Street Light 12 WT)	14200	14200	Near Jitender House, Ward No.-1		
2	64	11-01-2022	1 (12 wt Solar LED Light)	1300	1300	Near Jitender House, Ward No.-1	1300	Expenditure was not justified
2	65	11-01-2022	1 (30 AH Battery)	5900	5900	Near Jitender House, Ward No.-1	5900	Expenditure was not justified
2	33	27-12-2021	1 (Solar Street Light 12 WT)	14200	14200	Near Sethi House, Ward No-1		

1	19	08-06-2022	1 (Solar Light 12 WT)	7600	7600	Near Sethi House, Ward No-1	7600	Expenditure was not justified
2	64	11-01-2022	1 (12 wt Solar LED Light)	1300	1300	Near Kuldeep House, Ward No-2		
2	65	11-01-2022	1 (30 AH Battery)	5900	5900	Near Kuldeep House, Ward No-2		
1	55	22-07-2022	1 (Solar Light 12 WT)	7600	7600	Near Kuldeep House, Ward No-2	7600	Expenditure was not justified
					0			
2	33	27-12-2021	1 (Solar Street Light 12 WT)	14200	14200	Near Katoch House, Ward No-3		
1	19	08-06-2022	1 (Solar Light 12 WT)	7600	7600	Near Katoch House, Ward No-3	7600	Expenditure was not justified
1	19	08-06-2022	1 (Solar Light 12 WT)	7600	7600	Mini Sectt. Ward No.-1		
1	20	08-06-2022	1 (Solar Light 12 WT)	7600	7600	Mini Sectt. Ward No.-1		
1	55	22-07-2022	1 (Solar Light 12 WT)	7600	7600	Mini Sectt. Ward No.-1	7600	Expenditure was not justified
1	57	22-07-2022	1 (Solar Light 12 WT)	7600	7600	Mini Sectt. Ward No.-1	7600	Expenditure was not justified
2	34	27-12-2021	1 (Solar Street Light 12 WT)	14200	14200	Near Police Station ward No.-7		
2	65	11-01-2022	2 (12 wt Solar LED Light)	1300	2600	Near Police Station ward No.-7		
2	67	11-01-2022	2 (30 AH Battery)	5900	11800	Near Police Station ward No.-7		
1	57	22-07-2022	2 (Solar Light 12 WT)	7600	15200	Near Police Station ward No.-7	15200	Expenditure was not justified
2	50	29-12-2021	2 (Street Light 12 WT)	12500	25000	Near Mahavir Mandir, Ward No-5		

1	20	08-06-2022	1 (Solar Light 12 WT)	7600	7600	Near Mahavir Mandir, Ward No-5	7600	Expenditure was not justified
1	56	22-07-2022	1 (Solar Panel 40 WT)	2700	2700	Near post office, Ward No-5		
1	57	22-07-2022	1 (Solar Light 12 WT)	7600	7600	Near post office, Ward No-5	7600	Expenditure was not justified
2	34	27-12-2021	1 (Solar Street Light 12 WT)	14200	14200	Near Shiv Temple Ward No-5		
2	65	11-01-2022	1 (12 wt Solar LED Light)	1300	1300	Near Shiv Temple Ward No-5		
2	66	11-01-2022	1 (30 AH Battery)	5900	5900	Near Shiv Temple Ward No-5		
1	19	08-06-2022	2 (Solar Light 12 WT)	7600	15200	Near Shiv Temple Ward No-5	15200	Expenditure was not justified
1	57	22-07-2022	2 (Solar Light 12 WT)	7600	15200	Near Shiv Temple Ward No-5	15200	Expenditure was not justified
2	34	27-12-2021	1 (Solar Street Light 12 WT)	14200	14200	SDM Residence Ward No-5		
1	19	08-06-2022	1 (Solar Light 12 WT)	7600	7600	SDM Residence Ward No-5		
1	57	22-07-2022	1 (Solar Light 12 WT)	7600	7600	SDM Residence Ward No-5	7600	Expenditure was not justified
Total					**₹278100**		**₹113600**	

अतः वर्णित व्यय का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों की संस्थास्तर पर उचित पड़ताल उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16 संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों से काटे गए वस्तु एवं सेवाकर, बिक्री कर, आयकर, श्रमकर व रॉयल्टी ₹2.43 लाख को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 10/2020 से 3/2023 के दौरान संविदाकारों के निर्माण कार्यों बिलों से यथा **परिशिष्ट–"13"** अनुसार **₹243249** के वस्तु एवं सेवाकर कर, आयकर, श्रमकर व रॉयल्टी की कटौती की गई थी परन्तु उक्त राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement showing the detail of outstanding amount of GST, TDS and Labour cess as on 31-03-2023			
Sr. No.	**Particular**	**Outstanding Balance as on 31-03-2023**	**Remarks**
1	GST	45537.00	
2	TDS	6768.00	
3	LABOUR CESS	6814.00	
4	Royalty	184130.00	
	Total	**₹243249.00**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–126 दिनाँक 18.08.2023 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि नगर पंचायत द्वारा अधिकतम वैधानिक कटौतियों को जमा करवा दिया गया है जिसे पुष्टि हेतु अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए परन्तु फरवरी व मार्च 2023 की कुछ राशि जमा की जानी अपेक्षित है जिसे यथाशीघ्र सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिया जायेगा व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः नियमानुसार वैधानिक कटौतियों को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाये जाने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा संस्थास्तर पर आवश्यक पड़ताल उपरान्त नियमानुसार वैधानिक कटौतियों को सम्बन्धित विभागों में यथासमय जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अपेक्षित चालान व अभिलेख हेतु अलग से नस्ति का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 नियमानुसार निर्माण कार्य बिलों में रॉयल्टी ₹0.16 लाख की कटौती न करना

हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा) {Himachal Pradesh Department of Industries – Geoligical Wing} द्वारा जारी Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2022 की दूसरी अनुसूची में निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले क्षुद्र खनिज जैसे रेत, बजरी, पत्थर, मिट्‌टी, ईंट इत्यादि की मात्रा के उपयोग करने के फलस्वरूप रॉयल्टी की कटौती की दरें प्रतिपादित की गई हैं परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा यथा **परिशिष्ट–"14"** अनुसार निर्माण कार्य बिलों से रॉयल्टी ₹16203.68 की कम कटौती की गई थी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–126 दिनाँक 18.08.2023 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08. 2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि कम कटौती की गई रॉयल्टी ₹31289 की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों के बिल से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से रॉयल्टी की वसूली करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18 संविदाकार के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर ₹0.27 लाख की कटौती न करना

आयकर अधिनियम की धारा 194C के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Government deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति (Contractor), फर्म को सेवाएं प्रदान करने के बदले एक बार/एकमुश्त ₹30000 से अधिक व एक वित्तीय वर्ष में ₹100000 से अधिक राशि के भुगतान पर व्यक्ति व एचयूएफ (Person/HUF) से 1% की दर से तथा अन्य (Other than Person or HUF) से 2% की दर से आयकर की कटौती नगद अथवा बैक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा यथा **परिशिष्ट–"15"** अनुसार आयकर (TDS) ₹27135 की कटौती नहीं की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement showing the detail of less deduction of TDS							
Sr. No.	**Name of work**	**Name of Contractor**	**MB NO. Vr No.**	**Gross Amount of Payment**	**TDS Deducted**	**TDS to be Deducted**	**Less deduction of TDS (₹)**
1	P/L of SPV street light LED type with lithium fero phosphate (Life PO 4 bettery elect at NP Kanaghat	M/s Guru Nanak Electronics	MB -2, P 33-35 and Vr. No. 10 dt. 10.03.22	482800	4828	9656	4828
2	Repair & M/o existing solar light point at NP Kandaghat.	M/s Guru Nanak Electronics	MB -2, P 63-69 Vr. No. 22 dt. 27.04.22	396600	3966	7932	3966
3	Maintence of existing solar light with 12 watt. LEDbatery street light and 15b AH lithium Ferro Battery.	M/S electrocraft Corp. Solan	MB -1, P-16-22, Vr. No. 18 dt. 16.06.22	509550	5096	10191	5096
4	Maintenance of existing solar light points in NP Kandaghat Distt. Solan.	M/s Raaz Communication, Ghumarwin	MB -1, P-54-58, Vr. No. 16 dt. 21.09.22	316321	3163	6326	3163
5	Supplying and fixing cctv cameras in main market of NP Kandaghat.	M/s New age logic System, Opposite MC Office Rajgarh Road Solan.	03, Page-08 to 13, Vr. No. 08 Dated 08.12.2022	517068	5171	10341	5170
6	S/F Pan PRP Toilet cabin near BDO office in wardn o. 1 Kandaghtr (SH Providing duel finish two pan FRP toilet cabin with biodegester fro100 user per day).	M/S Piesun Engineering, Bilaspur	02, Page-101 to 102, Vr. No. 04 Dated 02.12.2022	491200	4912	9824	4912
Total				**2713539**	**27135**	**54270**	**27135**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–126 दिनाँक 18.08.2023 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यो सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि आयकर ₹27131 की कम कटौती की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों के बिल से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः नियमानुसार आयकर की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से आयकर की वसूली करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19.1 संविदाकार के बिल से ई.पी.एफ. ₹0.90 लाख की कम कटौती करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अवधि 07/2021 से 06/2023 तक सफाई व्यवस्था के लिये कार्य श्री अश्विनी कुमार को आबंटित किया गया था। सफाई अनुबन्ध 2022–23 की शर्त संख्याः 14 में यह स्पष्ट किया गया था कि ठेकेदार से अनुबंधित देय राशि का 1 प्रतिशत आयकर एवं 1 प्रतिशत लेबर सैस तथा ई.पी.एफ व जी.एस.टी. नियमानुसार काटा जायेगा परन्तु चयनित प्रकरणों में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा संविदाकार के मासिक बिल से नियमानुसार अपेक्षित 12 प्रतिशत ई.पी.एफ. **(EPF)** की तुलना में 6 प्रतिशत अथवा 6.25 प्रतिशत की दर से ई.पी.एफ. की कटौती की गई थी जिस कारण संविदाकार के बिल से ई.पी.एफ. **(EPF)** ₹89775 की कम कटौती की गई थी जोकि सहायक आयुक्त, भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कसुम्पटी शिमला के पत्र संख्याः RO/HP/Intelligence/Contract Workers/23337 दिनाँक 30.12.2016 मे वर्णित दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement showing the detail of less deduction of EPF, during the period 10/2020 to 03/2023

Sr. No.	Name of Work/Name of Contractor	Period	Vr No. Date	No of Employee	Amount Paid	EPF deducted on labour payment	EPF 12% Share to be deducted	Less deduction of EPF (₹)
1	Sh. Ashwani Kumar, Govt. Contractor, Nalagarh.	**01-09-2021 to 30-09-2021**	07 dt. 05-10-2021 CBP-24	Sweeper 16 Driver 2	225000.00	**6.25%** =14062	27000.00	12938.00

2	---do---	**01-11-2021 to 30-11-2021**	06 dt. 04-12-2021 CBP-32	Sweeper 16 Driver 2	225000.00	**6.25%** =14062	27000.00	12938.00
3	---do---	**01-02-2022 to 28-02-2022**	7 dt. 08-03-2022 CBP-48	Sweeper 16 Driver 2	222900.00	**6.25%** =13931	26748.00	12817.00
4	---do---	**01-09-2022 to 30-09-2022**	11 dt. 07-10-2022 CBP-91	Sweeper 17 Driver 2	288250.00	**6.00%** =17295	34590.00	17295.00
5	---do---	**01-11-2022 to 30-11-2022**	09 dt. 08-12-2022 CBP-103	Sweeper 17 Driver 2	287550.00	**6.00%** =17253	34506.00	17253.00
6	---do---	**01-02-2023 to 28-02-2023**	12 dt. 13-03-2023 CBP-122	Sweeper 17 Driver 2	287550.00	**6.25%** =17972	34506.00	16534.00
	Total				**₹1536250**	**₹94975**	**₹184350**	**₹89775.00**

इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार अपेक्षित रजिस्टर व अभिलेख का संधारण न करने के कारण ई.पी.एफ. **(EPF)** की कुल कटौती, जमा की गई राशि तथा जमा करवाये जाने हेतु शेष राशि की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके– एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–134 दिनाँक 29.08.2023 द्वारा वर्णित अनियमितता के सम्बन्ध में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-679 दिनाँक 29.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर उचित पड़ताल उपरान्त नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा कम कटौती की गई ई.पी.एफ. (EPF) की राशि की संस्थास्तर पर उचित जाँच व गणना उपरान्त ई.पी.एफ. की राशि को सम्बन्धित कर्मचारियों के खाते में जमा करके अपेक्षित चालान को अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19.2 संविदाकार के बिल से काटी गई ई.पी.एफ. की राशि ₹1.54 लाख को संस्थास्तर पर संरक्षित करना व वित्तीय वर्ष के उपरान्त एकमुश्त संविदाकार को जारी करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अवधि 07/2021 से 06/2022 तक संविदाकार के बिल से काटी गई ई.पी.एफ. (EPF) की राशि **₹154551** को संस्थास्तर पर ही संरक्षित किया गया था

जिसका एकमुश्त भुगतान संविदाकार को दिनाँक 20.07.2022 को किया गया था जबकि नियमानुसार संविदाकार द्वारा ई.पी.एफ. (EPF) की राशि को प्रतिमाह सम्बन्धित कर्मचारियों के खाते में जमा करके चालान को नगर पंचायत कार्यालय में जमा किया जाना अपेक्षित था परन्तु संविदाकार द्वारा ई.पी.एफ. (EPF) की राशि **₹154551** के सन्दर्भ में अपेक्षित चालान को नगर पंचायत कार्यालय में जमा नहीं करवाया गया था और न ही संस्थास्तर पर अपेक्षित रजिस्टर व अभिलेख को संधारित किया गया था जिस कारण नियमानुसार ई.पी.एफ. (EPF) की कुल कटौती व सम्बन्धित कर्मचारियों के खाते में राशि के जमा किये जाने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी जोकि सहायक आयुक्त, भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कसुम्पटी शिमला के पत्र संख्याः RO/HP/Intelligence/Contract Workers/23337 दिनाँक 30.12.2016 मे वर्णित दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Sr. No.	Name of Work/Name of Contractor	Period of EPF Deduction	Vr No. Date	No of Employees	Amount of EPF released to Contractor.	Remarks
1	Sh. Ashwani Kumar, Govt. Contractor, Nalagarh.	01-07-2021 to 30-06-2022	16 dt. 20-07-2022 CBP-77	Sweeper 16 Driver 2	154551.00	Lumpsum amount of EPF deducted w.e.f. 07-2021 to 06-2022 was released to the contractor, but the EPF challn were not obtained by NP Kandaghat from contractor.
	Total				₹154551.00	

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–134 दिनाँक 29.08.2023 द्वारा वर्णित अनियमितता के सम्बन्ध में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-679 दिनाँक 29.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर उचित पड़ताल उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई व संविदाकार से अपेक्षित चालान को प्राप्त करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा एकमुश्त भुगतान की गई गई ई.पी.एफ. **(EPF)** की राशि की संस्थास्तर पर उचित पड़ताल उपरान्त ई.पी.एफ. की राशि को सम्बन्धित कर्मचारियों के खाते में जमा करने से सम्बन्धित चालान को अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20 सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से परिहार करके नियमाविरूद्ध निर्माण कार्यों को छोटे–छोटे भागों में बाँटने (Split of work) के कारण ₹30.14 लाख का अनियमित भुगतान करना।

उप–सचिव, शहरी विकास, हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्याः UD-A(3)5/2007 दिनाँक 10.10.2020 तथा अधिशाषी अभियन्ता, शहरी विकास, हि0प्र0 के पत्र संख्याः UD-H-F(F)(10)-9/2007-Misc. Engg cell-9020-9068 अगस्त 2010 के अन्तर्गत नगर पालिकाओं/पंचायत द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निम्न विवरणानुसार प्रशानिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति को प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

Sub-Rule(2) of Rule 4 (a)"The power of electrical works shall rest with the electrical wing of the Public Works Department, Himachal Pradesh.

(b) in case of civil works relating to sanitary works and water works of buildings, roads and building work shall be as under:-

Para No. of above referred letter	**Power of administrative approval**	**Competent authority**	**Para No. of above referred letter**	**Designation**	**Technical sanction powers**
3 (1) (2)	Upto Rs. 5.00 Lac.	Municipality.	4	Junior Engineer of Minicipality.	Upto Rs. 3.00 Lacs.
	Exceeding Rs. 5.00 lac Not exceeding Rs. 100.00 lacs.	Director Urban Developmnet, Himachal Pradesh.		Assistant Engineer of Minicipality.	Upto Rs. 10.00 Lacs.
	Exceeding Rs. 100.00 lacs.	Secretary (UD) to the Government of Himachal Pradesh.		Executive Engineer.	Rs. 10.00 Lacs and above subject to maximum or Rs. 50.00 Lacs.
				Chief Engineer, HPPWD/ CEO, HP Urban Development Authority.	Rs. 50.00 Lacs and above.

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा उक्त दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल सक्षम अधिकारी से अपेक्षित प्रशानिक एवं तकनीकी स्वीकृति से परिहार करके नगर पंचायत स्तर पर ही 5 लाख से अधिक राशि के निर्माण कार्यों को छोटे–छोटे भागों में बॉटकर कार्यालय स्तर पर ही निष्पादित किया

गया था जोकि अनियमित है जिस कारण संस्थास्तर पर यथा **परिशिष्ट–"16"** अनुसार ₹3014703 के निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिये अनियमित भुगतान किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–126 दिनाँक 18.08.2023 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति से तथ्यों सहित अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 जैसी असामान्य परिस्थितियों के कारण निर्माण कार्य सम्बन्धी विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाना संभव नहीं हो सका तथा भविष्य में विहित औपचारिकताओं के उपरान्त ही निर्माण कार्यों को निष्पादित किया जायेगा। अतः संस्थास्तर पर किये गये अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

21 ई. निविदा (Allotment of works without e-tendring) के बिना ₹16.59 लाख के निर्माण कार्यों का निष्पादन करना

निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्याः UD-H(F)- Tender-Engg-Cell **-23793-847** दिनाँक 07.04.2015 के अनुसार 21.03.2016 तक 1 लाख तथा अवधि 21.03.2016 के पश्चात् 5 लाख से अधिक के व्यय को E-Tendering के माध्यम से निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के उपरान्त किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा यथा **परिशिष्ट–"17"** अनुसार ₹1659283 का व्यय वर्णित दिशा निर्देशों के प्रतिकूल ई. निविदा से परिहार करके किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Nagar Panchayat Kandaghat, Distt. Solan H.P.						
Statement of works executed without e-Tendring						
S.N.	**Name of Work**	**Agr. No & Date**	**Name of Cont.**	**Awarded Amount**	**MB No. & page No.**	**Mode of tender**
1	C/o Nallah from H/o Bhupender to foot bridge (along with Mahadev Mandir road) in ward no. 7 at Kandaghat	345-347 & 29.04.22	Sh. Amit Sharma	556043	2 & 75-82	Offline

2	Proposed isolation centre cum OPD at ground floor at CHC Kandaghat	375-377 & 07.05.22	Sh. Lok Nath	541448	2 & 84-86	Offline
3	M/o Nallah from house of Joginder sood towards H/o Ajay verma inward no. 7 at Kandaghat.	934-936 & 10.10.22	Sh. Surender Singh	561792	1 & 73-76	Offline
Total				**1659283**		

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–126 दिनाँक 18.08.2023 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति से तथ्यों सहित अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08. 2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत ₹500000 से कम थी जिस कारण ऑनलाईन निविदा की अपेक्षा ऑफलाईन निविदा को आबंटित किया गया। अतः ई. निविदा सम्बन्धी विहित औपचारिकताओं से परिहार करके ऑफलाईन निविदा को आबंटित करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

22 निर्माण कार्य हेतु जारी अग्रिम ₹3.00 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दिनाँक 31.03.2023 तक ₹3,00,000/– का अग्रिम निम्न निर्माण कार्य हेतु जारी किया गया था जिसका अंकेक्षण अवधि के अन्त तक समायोजन नहीं किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Statement of advances not adjusted upto 31-03-2023

S.N.	Name of Work	Award letter No & Date	Name of Cont.	Awarded Amount	Advance paid	Vr No. Date	Cash Book Page	Remarks
1	P/L inter locking CC pavers at Padav In W.N. 3 at Kandaghat.	675-676 & 18.07.22	Sh. Dev Raj Kapta	361189	100000	15 Dt. 19-07-2022	77	Bill were not passed till 31-03-2023 and
					100000	Nil/ 28-	89	

						09-2022		advance was lying pending for adjustment.
2	R/o path from Sh. Gopal Krishan House towards house of Sh. Vijay Kapoor near outside of Balmiki Mandir, in WD-6 at Kandaghat.	108-110 & 23.02.23	Sh. Aashish Sharma	233206	100000	07 Dt. 04-03-2023	121	
Total					**₹300000**			

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–126 दिनाँक 18.08.2023 द्वारा वर्णित अनियमितता के सम्बन्ध में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-679 दिनाँक 29.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि अग्रिम का यथाशीघ्र समायोजन संविदाकार के निर्माण कार्य बिल से कर दिया जायेगा व अनुपाला से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः प्रदत अग्रिम का यथासमय समायोजन न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा यथाशीघ्र प्रदत अग्रिमों का नियमानुसार समायोजन सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 निर्माण कार्य को विलम्ब से पूर्ण करने के कारण संविदाकारों से दण्ड शुल्क ₹8800 की वसूली न करना।

संविदाकार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य निष्पादित न करने की स्थिति में आबंटन पत्र की शर्त संख्याः 4 में स्पष्ट किया गया था कि The work should be completed within stipulated period positely in all respect failing which a penalty of Rs. 200/- per day up to the mamimum of 10% amount will be charged in addition the proviosn o the agreement clauses परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि संविदाकारों द्वारा आबंटन पत्र में वर्णित शर्त के अनुसार निर्धारित अवधि के पश्चात कार्यों को पूर्ण किया गया था जिसके लिये संविदाकार से निम्न विवरणानुसार अनुसार दण्ड शुल्क ₹8800 की वसूली नहीं की गई थी।

Statement showing the detail of late execution of work										
As per award letter Con. No-4. The work should be completed within stipulated period positely in all respect failing which a penalty of Rs. 200/- per day up to the maximum of 10% amount will be charged in addition the proviosn o the agreement alauses, As per Con. 8 date of commencement and the time shedule submitted by you will be effective after the 15th day from the issue of award letter.										
S.N.	**Name of Work**	**Award Letter. No & Date**	**Name of Cont.**	**Time period**	**Amount of bill**	**MB No. & page**	**Date of completion as per Award letter**	**Actual date of Comple tion**	**Delay in Excution of work (In days)**	**Recoverable Amount**
1	P/F railing from H/o Gurdyal to H/o prem rattan upto railway trackin ward no. 3	539 & 30.11.21	Sh. Baldev Singh Thakur	one month	37340	2 & 38-40	13.01.21	24.01.22	11	2200.00
2	M/o Nallah from house of surinder towards house of bhupender sood in ward no. 7 kandaghat	955-957& 14.10.22	M/s Raaz Communic ation	Two month	211164	1 & 76-79	28.12.22	30.12.22	2	400.00
3	M/o path near balmiki mandir to Narender Bansal house in ward no. 6 at Kandagaht	272 & 23.08.21	Sh. Vinay malhotra	Three month	168470	2 & 40-44	07-12-2021	07.01.22	31	6200.00
	Total recoverable amount dut to late execution of work									**8800.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–126 दिनाँक 18.08.2023 द्वारा वर्णित अनियमितता के सम्बन्ध में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-679 दिनाँक 29.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई/सम्बन्धित से राशि की वसूली करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित दण्ड शुल्क की नियमानुसार वसूली न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

24 निर्माण कार्य में मदों का नियमों के प्रतिकूल अतिरिक्त निष्पादन करने व गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹2.40 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान

अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 10/2020 से 03/2023 के दौरान निष्पादित निर्माण कार्य में मदों का नियमों के प्रतिकूल अतिरिक्त निष्पादन करने व गलत गणना के कारण संविदाकारों को निम्नविवरणानुसार ₹239917 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–126 व 132 दिनाँक 18.08.2023 तथा 25.08.2023 द्वारा वर्णित अनियमितताओं के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था जिसके प्रतिउतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 व 679 दिनाँक 28.08.2023 तथा 29.08.2023 के अन्तर्गत सूचित कियां गया कि वर्णित अनियमितताओं पर नियमानुसार कार्रवाई/राशि की वसूली उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा तथा आश्वस्त किया गया कि भविष्य में नियमानुसार ही निर्माण कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान चयनित प्रकरणों में पाये गये इस प्रकार के कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से था।

24.1	Name of Work	C/o Repair of road near house of Sh. Chain Singh, in Ward No-7 at Kandaghat.
	Estimated Cost	₹192246
	Award amount	₹146444 (23.82% below on HPSR 2020)
	Award letter No.	No.Secy.KGT/2021-592-594, Dt.10-12-2021
	Name of Contractor	Sh. Lok Nath Sharma.
	Measurement Books	02, Page-35 to 37
	Priod of completion	Three Month (Reckoned from the 15th day of issuing the award

letter)

Running Bill Voucher No. 11 Dated 10.03.2022, 1st and Final bill

Form Work की तुलना में P/L CC 1:5:10 का अधिक निष्पादन करने के कारण संविदाकार को ₹0.34 लाख का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य के मद संख्या 2 i.e. Centring and Shuttering i/c struttring and propping etc. का मद संख्या 4 P/L CC 1:5:10 in R/Wall and return wall i/c attached pilaster, columns, pillars etc. से मिलान करने पर पाया गया कि form work की तुलना P/L CC 1:5:10 का अधिक निष्पादन किया गया था जबकि नियमानुसार form work के अनुसार ही P/L CC 1:5:10 का निष्पादन किया जाना अपेक्षित था तथा माप पुस्तिका में भी इस सम्बन्ध में कोई भी टिप्पणी/अभ्युक्ति नहीं की गई थी जिस कारण निष्पादित कार्य नियमों के प्रतिकूल होने के कारण संविदाकार को ₹34020 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

माप पुस्तिका नं व पृष्ठ संख्या	माप पुस्तिका अनुसार संविदाकार को Form Work के किये गये भुगतान का विवरण	माप पुस्तिका अनुसार Form Work से सम्बन्धित CC 1:5:10 के लिये संविदाकार को किये गये भुगतान का विवरण	As per Audit, Cement Concrete 1:5:10 की वास्तविक मात्रा की गणना	CC 1:5:10 की अधिक भुगतान की गई मात्रा	निष्पादित मद की दर ₹	अधिक भुगतान की गई राशि ₹
02/36-37	Item 2. i.e. Centring and Shuttering i/c struttring and propping etc.1x8.00x (0.30+1.70)/2 =8.00 m2	Item: 4 P/L CC 1:5:10 in R/Wall and return wall i/c attached pilaster, columns, pillars etc. 1x8.00x0.90 x(1.05+3.05)/2 =14.76.00 m2	1x8.00x0.90x(0.30+1.70) /2 =7.20 m3	7.56 m3	4500 m3	34020.00
Total		**14.76.00 m2**	**7.20 m3**	**7.56 m3**	**4500 m^3**	₹34020.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–126 दिनाँक 18.08.2023 द्वारा उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-679 दिनाँक 29.

08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

24.2	Name of Work	P/L CC flooring at Padav Maidan in ward no. 3 at Kandaghat.
	Estimated Cost	₹924700
	Award amount	₹799822
		(13.50% below on HPSR 2020)
	Award letter No.	No.Secy.KGT/2022-60, Dt.21-01-2022
	Name of Contractor	Sh. Dev Raj Kapta
	Measurement Books	02, Page-44 to 48
	Priod of completion	Three Month (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter)
	Running Bill	Voucher No. 20 Dated 20.03.2022, 1st and Final bill

मद संख्याः 1 तथा 5 दोनों के अन्तर्गत Disposal of dismantal material **के लिये भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹0.30 लाख का अधिक भुगतान करना।**

उपरोक्त निर्माण कार्य के मद संख्या 1 i.e. Dismantling of flexible pavement by mechanical means and disposal of dismantaled material upto a lead of 1 Kms as per direction of engineer incharge etc. का मद संख्या 5 Disposal of building rubbish/malva similar unserviceable dismantal or waste material by mechanical means including loading transporting unloading to approved municipal dumping ground or as approved by engineer incharge etc. से मिलान करने पर पाया गया कि मद संख्या 1 व 5 दोनों के अन्तर्गत disposal of dismantaled material के लिये भुगतान किया गया था जबकि नियमानुसार मद संख्याः 1 अथवा मद संख्याः 5 किसी एक के अन्तर्गत ही disposal of dismantaled material के लिये भुगतान किया जाना अपेक्षित था। उक्त के दृष्टिगत निष्पादित कार्य नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित था जिस कारण संविदाकार को **₹**29578 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

माप पुस्तिका नं व पृष्ठ संख्या	माप पुस्तिका अनुसार Item No. 1 के अन्तर्गत disposal of dismantaled material के लिये संविदाकार को किये गये भुगतान का विवरण	माप पुस्तिका अनुसार Item No. 5 के अन्तर्गत पुनः disposal of dismantaled material के लिये संविदाकार को किये गये भुगतान का विवरण	अधिक भुगतान की गई राशि ₹	Remarks
02/44-48	**Item 1.** i.e. Dismantling of flexible pavement by mechanical means and disposal of dismantaled material upto a lead of 1 Kms as per direction of engineer incharge etc. Total Qty executed = 173.99 m3, Rate ₹300 m3 Total Payment Made=₹52197 Note:- Due to numerous entries, the entries have not mentioned.	**Item: 5** i.e Disposal of building rubbish/malva similar unserviceable dismantal or waste material by mechanical means including loading transporting unloading to approved municipal dumping ground or as approved by engineer incharge etc. Total Qty executed = 173.99 m3 Rate ₹170 m3 Total Payment Made=₹29578 Note:- Due to numerous entries, the entries have not mentioned.	₹29578	Payment for disposal of dismantaled material was alredy made under Item No-1. Hence, again payment under Item No. 5 was not justified.
Total Excess Payment			**₹29578**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–126 दिनाँक 18.08.2023 द्वारा उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-679 दिनाँक 29. 08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाही अथवा राशि की वसूली करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

24.3 Name of Work C/o Nallah from H/o Sh. Bhupender Towards foot bridge along with (Mahadev Mandir road) in ward no. 7 at Kandaghat

Estimated Cost ₹499486

Award amount	₹524131 (4.93% above on HPSR 2020)
Award letter No.	No.Secy.KGT/2022-125-127, Dt.26-02-2022
Name of Contractor	Sh. Krishan Lal
Measurement Books	02, Page-58 to 63
Priod of completion	Two Month
Running Bill	Voucher No. 22 Dated 23.03.2022, 1st and Final bill

(क) Approved Drawing की तुलना में मद संख्या 7 के अन्तर्गत P/L CC 1:2:4 में अधिक Depth का निष्पादन करने के कारण संविदाकार को ₹0.10 लाख का अनियमित भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य की Approved drawing का मद संख्या 7 i.e. P/L CC 1:2:4 in position of specified grade excluding cost of centering and shuttering in all work up to plinth level etc. से मिलान करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य के लिये अनुमोदित ड्राईंग में निर्धारित Depth 0.07 Mtrs की तुलना में Depth 0.10 Mtrs को निष्पादित किया गया था जिस कारण Depth 0.03 Mtrs का अतिरिक्त निष्पादन किया गया था तथा माप पुस्तिका में भी कोई भी टिप्पणी/अभ्युक्ति नहीं की गई थी। उक्त के दृष्टिगत निष्पादित कार्य नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित था जिस कारण संविदाकार को ₹10117 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

माप पुस्तिका नं व पृष्ठ संख्या	मद का विवरण	माप पुस्तिका अनुसार संविदाकार को किये गये भुगतान का विवरण	अनुमोदित ड्राईंग के अनुसार संविदाकार को देय भुगतान	CC 1:2:4 की अधिक भुगतान की गई मात्रा	निष्पादित मद की दर ₹	अधिक भुगतान की गई राशि ₹
02/ 59-63	Item 7. i.e. P/L CC 1:2:4 in position of specified grade excluding cost of centering and	R/D 0 to 30 Mtrs 1X30X0.90X0.10 = 2.70 M3 R/D 30 to 60	R/D 0 to 30 Mtrs 1X30X0.90X0.07 = 1.89 M3 R/D 30 to 60 Mtrs 1X30X0.90X0.07	0.81 M3 0.81 M3	6245 6245	10117

	shuttering in all work up to plinth level etc.	Mtrs 1X30X0.90X0.10 = 2.70 M3	= 1.89 M3			
Total		**5.40 M3**	**3.78 M3**	**1.62M3**	**6245**	**₹10117**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–126 दिनाँक 18.08.2023 द्वारा उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-679 दिनाँक 29.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाही अथवा राशि की वसूली करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

24.4	Name of Work	C/o Nallah from H/o Tersem towards H/o Sh biru in ward no. 4 at Dolag Kandaghat (SH P/L both side RCC wall of Nallah with top slab and CC flooring at RD o/o to o/80 m in 2nd phase)
	Estimated Cost	₹438299
	Award amount	₹463860 (13.07% above on HPSR 2020)
	Award letter No.	No.Secy.KGT/2022-685-686, Dt. 22-07-2022
	Name of Contractor	Sh. Amit Sharma
	Measurement Books	01, Page-66 to 72
	Priod of completion	Three Month.
	Running Bill	Voucher No. 31 Dated 22.12.2022, 1st and Final bill

गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.28 लाख का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 10 i.e. Steeel reinforcement for RCC work i/c straitghtening, cutting bending, placing in position and binding all complete up to plinth level

etc. की पड़ताल में पाया गया कि माप पुस्तिका में गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹28174 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

माप पुस्तिका नं व पृष्ठ संख्या	मद का विवरण	माप पुस्तिका अनुसार गणना	अंकेक्षण के अनुसार गणना	अधिक गणना की गई मात्रा	निष्पादित मद की दर ₹	अधिक भुगतान की गई राशि ₹
01/ 66-72	Item 10 i.e. Steeel reinforcement for RCC work i/c straitghtening, cutting bending, placing in position and binding all complete up to plinth level etc.	8mm dia for horizontal base. 2x2x15 = 900 rmt.	8mm dia for horizontal base. 2x2x15= 60 rmt.	840 rmt or 327.60 kg (840 rmt x 0.39)	86 P/kg	28174
Total		**900 Rmt**	**60 Rmt**	**840 Rmt or 327.60 kg**	**86 P/kg**	**₹28174**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–126 दिनाँक 18.08.2023 द्वारा उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-679 दिनाँक 29.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि माप पुस्तिका में गलत गणना के कारण संविदाकार को भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

24.5 Name of Work — Repair of road near H/o sudesh in ward no. 7 kandaghat Distt. Solan (SH; C/o R/wall of L-16m)

Estimated Cost — ₹329343

Awarded amount — ₹345433

Award letter No. — No.Secy.KGT/2022-147-149, Dt. 04-03-2022

Name of Contractor — Sh. Krishan Lal

Measurement Books — 03, Page-02 to 06

Priod of completion Two Month.

Running Bill Voucher No. 16 Dated 08.06.2022, 1st and Final bill

(क) बिल की आंशिक अदायगियों (Wrong adjustment of part payment of Bill) **के गलत समायोजन के कारण संविदाकार को ₹1.00 लाख का अधिक भुगतान करना।**

उपरोक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका सं. 03 के पृ–02 से 06 के अंकेक्षण में पाया गया कि संविदाकार श्री कृष्ण लाल को रोकड बही अनुसार दिनाँक 12.04.2022 को ₹1,00,000 तथा 04.05.2022 को ₹1,00,000 कुल राशि ₹2,00,000 के ऑशिक बिल (Part payment) का भुगतान किया गया था परन्तु अन्तिम बिल की अदायगी के समय केवल ₹1,00,000 को ही समायोजित किया गया था जिस कारण माप पुस्तिका के अनुसार पारित कुल बिल ₹295811 (वैधानिक कटौतियों के उपरान्त) की तुलना में रोकड बही के अनुसार संविदाकार को ₹395811 का भुगतान किया गया था। उक्त कारणों से संविदाकार को प्रथम एवं अन्तिम बिल की अदायगी की समय ₹100000 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

माप पुस्तिका नं व पृष्ठ संख्या	माप पुस्तिका अनुसार देय कुल राशि	रोकड बही के अनुसार किया गया भुगतान	अधिक भुगतान की गई राशि ₹
03/ 02-06	Gross amount = **₹352762** Less Deductions:- 10% Secrurity = 35276 GST 2% = 7055 TDS = 3528 Labour Cess = 3528 Royalty = 7564 Total = 56951 Net payable amount = ₹**295811**	CB Page- 55, Vr. No-13, Dt. 12-04-2022 = ₹ 100000 Part payment CB Page- 60, Vr. No-07, Dt. 04-05-2022 = ₹ 100000 Part payment CB Page- 68, Vr. No-16, Dt. 08-06-2022 = ₹ 195811 Final payment **Total Payment = ₹395811**	100000
Total	**₹295811**	**₹395811**	**₹100000**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–132 दिनाँक 25.08.2023 द्वारा उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28. 08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि माप पुस्तिका मे पाये गये अधिक भुगतान की वसूली

सम्बन्धित संविदाकार से करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) एक साईड फॉर्म वर्क (Single side form work**) के बावजूद** Back filling in retaining wall **के लिये संविदाकार को ₹0.12 लाख का अनियमित भुगतान करना।**

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्याः 3 i.e "Providing Centring and shuttering i/c shuttering, propping etc. and removal of form work for retaining wall, return wall, walls i/c attached pilaster buttresses, plinth and srtinf courses etc." का मद संख्याः 9 i.e "Back filling behind abutment, wing wall and return wall complete as per drawing and technical specification etc. के साथ तुलना में पाया गया कि मद संख्या 3 के अन्तर्गत निष्पादित मात्रा 48.02 M2 के लिये Single side form work हेतु भुगतान किया गया था तथा मद संख्याः 9 के अन्तर्गत निष्पादित मात्रा 15.32 M3 के लिये Back filling behind r/wall हेतु भुगतान किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित था क्योंकि form work केवल एक ही साईड के लिये किया गया था जिससे स्पष्ट है कि दूसरी ओर से Form Work न होने के कारण स्टोन फिलिंग हेतु भुगतान संभव नहीं था क्योंकि दूसरी ओर से फॉर्म वर्क हेतु दीवार का प्रयोग किया गया था। उक्त कारणों से मद संख्याः 9 के अन्तर्गत संविदाकार को ₹11981/- का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

MB No./ Page. No.	Item No.3.01 i.e shuttering/Form Work (Qty.in sqr.mtr.)	As per MB Item No. 9 i.e Stone Filling behind the Retaining wall (Qty. in cum)	As per Audit	Rate of Item No.7 in cum	Total irregular Payment (₹)
M.B. 03 Page No. 2 & 06	1x5.50x3.00=16.50m2 1x5.60x2.80=15.68m2 1x7.20x2.20=15.84m2 Total =48.02 m2	1x5.50x0.60x1.80=5.94m3 1x5.60x0.60x1.25=4.24m3 1x7.20x0.60x1.20=5.18m3 Total=15.36m3	As the form work was executed only for single side, hence payment for stone filling behind the R/wall under item No. 9 was not justified.	780 m2	11981
Total					**₹11981**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–132 दिनाँक 25.08.2023 द्वारा उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक

28.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि माप पुस्तिका अनुसार पाये गये अधिक भुगतान की संस्थास्तर पर उचित पड़ताल उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई/राशि की वसूली करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹1000 का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 6 i.e. Carriage of excavated earth by manual labour i/c loading unloading and stacking from work site to main road upto 100 mtrs etc. के अंकेक्षण में पाया गया कि माप पुस्तिका में गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹1000 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

माप पुस्तिका नं व पृष्ठ संख्या	मद का विवरण	माप पुस्तिका अनुसार गणना व किया गया भुगतान	अंकेक्षण के अनुसार गणना व देय भुगतान	अधिक भुगतान की गई राशि ₹
03/ 02-06	Item 10 i.e. Carriage of excavated earth by manual labour i/c loading unloading and stacking from work site to main road upto 100 mtrs etc.	₹6369 (Excuted qty= 41.62 m3 x Rate ₹129)	₹5369 (Excuted qty= 41.62 m3 x Rate ₹129)	₹1000

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–132 दिनाँक 25.08.2023 द्वारा उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28. 08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि माप पुस्तिका मे पाये गये अधिक भुगतान की संस्थास्तर पर उचित पड़ताल उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई/राशि की वसूली करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) वीप होल्स (Weep Holes) की कटौती न करने के कारण संविदाकार को ₹368 का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्याः 8 Providing wheep wholes in brick masonary/stone masonary, reinocrced concrete abutments wing wall, return wall with 100mm dia PVC pi;e

etc. के अंकेक्षण में पाया गया कि मद संख्याः 2 P/L CC 1:5:10 in R/wall के अन्तर्गत वीप होल के लिये नियमानुसार 100mm पी.वी.सी. पाईप के आयतन की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण संविदाकारों को 368/- का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

M.B No /Page No	Item 8. Providing weep holes 100 mm dia	Deduction to be given	Item 2. P/L CC 1:5:10 in R/wall. Rate	Total Amount (₹)
03/2 to 6	12 Nos	12 x 22/7 x (0.05 x 0.05) x 0.9 = 0.08	4605 m3	₹368.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–132 दिनाँक 25.08. 2023 द्वारा उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे सूचित किया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि माप पुस्तिका मे पाये गये अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

24.6

Name of Work	Supplying and fixing cctv cameras in main market of NP Kandaghat.
Estimated Cost	₹495300
Awarded amount	₹499660
Award letter No.	No.Secy.KGT/2022-715-717, Dt. 02-08-2022.
Name of Contractor	M/s New age logic System, Opposite MC Office Rajgarh Road Solan.
Measurement Books	03, Page-08 to 13
Priod of completion	Two Month.
Running Bill	Voucher No. 08 Dated 08.12.2022, 1st and Final bill

गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹2633 का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 7. Supplying and fixing D link CAT 6 armoured cable external etc. के अंकेक्षण में पाया गया कि माप पुस्तिका में गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹2633 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

माप पुस्तिका नं व पृष्ठ संख्या	मद का विवरण	माप पुस्तिका अनुसार गणना व किया गया भुगतान	अंकेक्षण के अनुसार गणना व देय भुगतान	अधिक भुगतान की गई राशि ₹
03/ 08-13	Item 7 i.e. Supplying and fixing D link CAT 6 armoured cable external etc.	₹154736 (Excuted qty= 2001.35 Rmt x Rate ₹76)	₹152103 (Excuted qty= 2001.35 Rmt x Rate ₹76)	**₹2633**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ / स्टेट ऑडिट–2023–132 दिनाँक 25.08.2023 द्वारा उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे सूचित किया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि माप पुस्तिका मे पाये गये अधिक भुगतान की संस्थास्तर पर उचित पड़ताल उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई / राशि की वसूली करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

25 लॉग बुक में निर्धारित रूट मैप की तुलना में अधिक दूरी दर्शाये जाने के कारण संविदाकार को ₹0.45 लाख के पैट्रोल हेतु अनियमित भुगतान करना

नगर पंचायत वाहन संख्याः HP-24DT-8625 तथा HP-07B-0745 की लॉग बुक के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्र से डम्पिंग साईट के लिये कूडा उठाने / सफाई व्यवस्था के लिये संविदाकार श्री अश्विनी कुमार को संविदा को आबंटित किया गया था (वर्ष 2021–2022 के लिये ₹225000 में 16 सफाई कर्मचारी, दो चालक तथा दो वाहन तथा वर्ष 2022–2023 के लिये ₹290000 में 17 सफाई कर्मचारी दो चालक तथा दो वाहन)। नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-678 दिनाँक 28.08.2023 के अन्तर्गत यथा **परिशिष्ट–"18"** अनुसार सूचित किया गया की नगर पंचायत क्षेत्र

से डम्पिंग साईट सलोगडा व सलोगडा से नगर पंचायत के लिये वापसी की दूरी लगभग 30 कि0मी0 थी परन्तु चयनित प्रकरणों में पाया गया कि लॉग बुक अनुसार वाहनों द्वारा प्रतिदिन नगर पंचायत क्षेत्र से डम्पिंग साईट सलोगडा व सलोगडा से नगर पंचायत के लिये वापसी के लिये एक यात्रा की दूरी लगभग 48 से 50 कि0मी0 दर्शाई गई थी जिसके लिये संविदाकार श्री अश्विनी कुमार को ₹9 प्रति कि0मी0 की दर से भुगतान किया गया था। वाहनों द्वारा वास्तिविक दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने के कारण चयनित प्रकरणों में लगभग 5014 Kms की अतिरिक्त यात्रा को दर्शाया गया था जिस कारण वाहनों द्वारा निम्नविवरणानुसार लगभग ₹45126 (5014 Kms x ₹9) के डीजल हेतु अधिक भुगतान किया गया दर्शाया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Nagar Panchayat Kandaghat, Solan H.P.									
Vide letter No. the distance of Kandagaht to dumping site was intimated 15 Kms									
Contractor Sh. Ashwani Kumar			**As per Log Book, HP-24 DT 8625**				**Actual Distance given from Kandaghat to Salogra abount 30 Km per Journey)**	**Excess Distance shown**	Per day distance from Nagar Panchayat area to dumping site was taken about 50 KM per journey instead of 30 Kms
Sr No.	**Route of dumping site**	**Period**	**Log Book Page**	**Opening reading**	**Closing reading**	**Distance taken**			
1	Kandaghat to Salogra and Back	01-02-2022 to 28-02-2022	16 to 17	12056	13508	1452	840 Kms (30KM x 28 days)	612.00	
2	Kandaghat to Salogra and Back	01-03-2022 to 31-03-2022	18 to 19	13508	15052	1544	930 Kms (30KM x 31 days)	614.00	
3	Kandaghat to Salogra and Back	01-12-2022 to 31-12-2022	36 to 37	27274	28826	1552	930 Kms (30KM x 31 days)	622.00	
4	Kandaghat to Salogra and Back	01-01-2023 to 31-01-2023	38 to 39	28826	30580	1754	930 Kms (30KM x 31 days)	824.00	
	As per Log Book, HP-07 B 0745								
5	Kandaghat to Salogra	01-02-2022 to 28-02-2022	10 to 11	10957	12325	1368	840 Kms (30KM x 28 days)	528.00	Per day distance

	and Back								was taken about 50 KM per journey instead of 30 Kms
6	Kandaghat to Salogra and Back	01-03-2022 to 31-03-2022	11	12325	13851	1526	930 Kms (30KM x 31 days)	596.00	
7	Kandaghat to Salogra and Back	01-12-2022 to 31-12-2022	23 to 25	25790	27331	1541	930 Kms (30KM x 31 days)	611.00	
8	Kandaghat to Salogra and Back	01-01-2023 to 31-01-2023	25 to 26	27331	28868	1537	930 Kms (30KM x 31 days)	607.00	
	Total Excess Kms							**5014.00**	
	Per KM rate of paymet as per Estimate Rs. 9							**9.00**	
	Excess Payment to Contractor							**45126.00**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–132 दिनाँक 25.08.2023 द्वारा उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे सूचित किया गया था जिसके प्रत्युतर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-677 दिनाँक 28. 08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थास्तर पर उचित पड़ताल उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई/राशि की वसूली करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमित/अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

26 नियमानुसार रसीद बुक्स रजिस्टर का संधारण न करना

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–108 दिनाँक 21.07.2023 के प्रत्युतर में प्रस्तुत रसीद स्टॉक रजिस्टर के अंकेक्षण में पाया गया कि रसीद बुक रजिस्टर को संधारण नियमानुसार नहीं किया गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच उपरान्त समस्त रसीद बुक को स्टॉक रजिस्टर में निम्न प्रपत्र अनुसार दर्ज करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को नकारा जा सके।

Date of receipt of Receipt Book	No. of Receipt Book received (Printed)	Sr. No. of the Receipt Books	Signature of the custodian of Receipt Book	Date of Issue of Receipt Books
1	2	3	4	5
Sr. No. of the Receipt Book issued	**Signature of official to whom receipt book issued**	**Balance**	**Signature of the verifying authority**	**Remarks**
6	7	8	9	10

27 नियमानुसार विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख–रखाव न करना

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–108 दिनाँक 21.07.2023 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचनाओं/अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का उचित रख–रखाव नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

i. वेतन बिल रजिस्टर
ii. अनुदान रखरखाव रजिस्टर (Grant in aid register)
iii. प्रतिभूति जमा रजिस्टर
iv. यात्रा भता दावा बिल रजिस्टर
v. चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा बिल रजिस्टर
vi. कॉन्ट्रेक्टर लैजर
vii. जीपीएफ/अंशदाई पेंशन योजना की रोकड़ बहियां/खाता बहियाँ
viii. बिजली उपकर मांग व संग्रहण रजिस्टर
ix. गाड़ी की मुरम्मत व रख–रखाव रजिस्टर
x. बिजली/पानी/टेलीफोन चैक रजिस्टर
xi. चयनित प्रतिनिधियों को मानदेय भुगतान चैक रजिस्टर
xii. बजट रजिस्टर

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट आडिट/2023–108 दिनाँक 21.07.2023 द्वारा वर्णित अभिलेखों/रजिस्टर का संधारण न करने बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्याः NP/KGT/2023-666 दिनाँक 26.08.2023 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि यथाशीघ्र संस्थास्तर पर नियमानुसार अपेक्षित अभिलेखों का संधारण करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित अभिलेख/रजिस्टर का नियमानुसार रख–रखाव व अद्यतन को सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

28 स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में शेष सामान की भौतिक सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित है जिस सन्दर्भ में नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2023–108 दिनाँक 21.07.2023 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामान की भौतिक सत्यापना (Physical Verification) दिनाँक 31.03.2023 को की गई थी।

उक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 15 में नियम 238 (1 व 2) में दिए गए प्रावधानों में नगर पंचायत् द्वारा खरीदे गए स्टोर/स्टॉक के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमों, सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए स्टोर/स्टॉक का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है परन्तु नगर पंचायत् द्वारा जिन स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण किया गया था उनमें से अधिकतर नियमों की अनुपालना तो की गई थी परन्तु स्थाई तथा अस्थाई स्टॉक का लेखांकन एक ही रजिस्टर में किया गया है। अतः वर्णित अनियमितताओं के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करके कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार लाते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

29 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

30 **निष्कर्षः–** लेखों के रख–रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
दूरभाष –0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याःफिन(एल0ए0) एच (2)सी–15(V)115/13 खण्ड–1-8274-8275 दिनांकः 12.10.23 शिमला–171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्याः 1 (ग) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत : 2 सचिव, नगर पंचायत कण्डाघाट जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/–
(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
दूरभाष –0177–2620881